

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

No. 487

22 aashadh, 1938 (S)

PUBLISHED BY AUTHORITY

Ranchi, Thursday, 13th July, 2017

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION 13th July, 2017

S.O-56 Dated-13th July, 2017-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, i.e. Departmental Notification S.O. 28 dated 20 June, 2017 and S.O. 52 dated 29 June, 2017 namely:-

- (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017.
- (2) They will be deemed to be effective from the 1st day of July, 2017.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017,
 - (i) in rule 44,
 - (a) in sub-rule (2), for the words "integrated tax and central tax", the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax" shall be substituted;
 - (b) in sub-rule (2), after the words "integrated tax", for the brackets and figure "(2)", the brackets and figure "(3)" shall be substituted;

- (c) in sub-rule (6), for the words and letters "IGST and CGST", the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax" shall be substituted;
- (ii) in rule 96,
 - (a) in sub-rule(1), in clause (b), and
 - (b) in sub-rule (3),

after the words, figures and letters "FORM GSTR 3", the words and figures "or FORM GSTR-3B, as the case may be;" shall be inserted;

(iii) after rule 96, the following rule shall be inserted, namely:-

"96A.Refund of integrated tax paid on export of goods or services under bond or Letter of Undertaking.- (1)Any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish, prior to export, a bond or a Letter of Undertaking in FORM GST RFD-11 to the jurisdictional Commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under sub-section (1) of section 50 within a period of—

- (a) fifteen days after the expiry of three months from the date of issue of the invoice for export, if the goods are not exported out of India; or
- (b) fifteen days after the expiry of one year, or such further period as may be allowed by the Commissioner, from the date of issue of the invoice for export, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange.
- (2) The details of the export invoices contained in **FORM GSTR-1** furnished on the common portal shall be electronically transmitted to the system designated by Customs and a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted to the common portal from the said system.
- (3) Where the goods are not exported within the time specified in sub-rule (1) and the registered person fails to pay the amount mentioned in the said sub-rule, the export as allowed under bond or Letter of Undertaking shall be withdrawn forthwith and the said amount shall be recovered from the registered person in accordance with the provisions of section 79.
- (4) The export as allowed under bond or Letter of Undertaking withdrawn in terms of sub-rule (3) shall be restored immediately when the registered person pays the amount due.
- (5) The Board, by way of notification, may specify the conditions and safeguards under which a Letter of Undertaking may be furnished in place of a bond.
- (6) The provisions of sub rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.";
- (iv) in rule 117, in sub-rule (1), after the words "the amount of input tax credit", the words "of eligible duties and taxes, as defined in Explanation 2 to section 140," shall be inserted;
- (v) in rule 119, in the heading, for the word "agent", the word "job-worker" shall be substituted;

(vi) after rule 138, the following shall be inserted, namely:-

"Chapter - XVII

Inspection, Search and Seizure

- 139. Inspection, search and seizure.- (1) Where the proper officer not below the rank of a Joint Commissioner has reasons to believe that a place of business or any other place is to be visited for the purposes of inspection or search or, as the case may be, seizure in accordance with the provisions of section 67, he shall issue an authorisation in FORM GST INS-01 authorising any other officer subordinate to him to conduct the inspection or search or, as the case may be, seizure of goods, documents, books or things liable to confiscation.
- (2) Where any goods, documents, books or things are liable for seizure under sub-section (2) of section 67, the proper officer or an authorised officer shall make an order of seizure in **FORM GST INS-02**.
- (3) The proper officer or an authorised officer may entrust upon the the owner or the custodian of goods, from whose custody such goods or things are seized, the custody of such goods or things for safe upkeep and the said person shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of such officer.
- (4) Where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or the authorised officer may serve on the owner or the custodian of the goods, an order of prohibition in **FORM GST INS-03** that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer.
- (5) The officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory of such goods or documents or books or things containing, interalia, description, quantity or unit, make, mark or model, where applicable, and get it signed by the person from whom such goods or documents or books or things are seized.
- **140. Bond and security for release of seized goods.**-(1)The seized goods may be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of the goods in **FORM GST INS-04** and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable tax, interest and penalty payable.

Explanation.- For the purposes of the rules under the provisions of this Chapter, the "applicable tax" shall include central tax and State tax or central tax and the Union territory tax, as the case may be and the cess, if any, payable under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).

- (2) In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine, if any, payable in respect of such goods.
- **141.** Procedure in respect of seized goods.-(1) Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, things shall be released forthwith, by an order in **FORM GST INS-05**, on proof of payment.
- (2) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or things, the Commissioner may dispose of such goods or things and the

amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

CHAPTER - XVIII DEMANDS AND RECOVERY

- **142.** Notice and order for demand of amounts payable under the Act.- (1) The proper officer shall serve, along with the
 - (a) notice under sub-section (1) of section 73 or sub-section (1) of section 74 or sub-section (2) of section 76, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,
 - (b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**,

specifying therein the details of the amount payable.

- (2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.
- (3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under subsection (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.
- (4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be in **FORM GST DRC-06**.
- (5)A summary of the order issued under sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.
- (6)The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.
- (7) Any rectification of the order, in accordance with the provisions of section 161, shall be made by the proper officer in **FORM GST DRC-08.**
- **143. Recovery by deduction from any money owed.**-Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as "the defaulter") to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in **FORM GST DRC-09**, a specified officer to deduct the amount from any money owing to such defaulter in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 79.

Explanation.-For the purposes of this rule, "specified officer" shall mean any officer of the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority, or of a Board or Corporation or a company owned or controlled, wholly or partly, by the Central Government or a State Government or the Government of a Union territory or a local authority.

- **144.** Recovery by sale of goods under the control of proper officer.- (1) Where any amount due from a defaulter is to be recovered by selling goods belonging to such person in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall prepare an inventory and estimate the market value of such goods and proceed to sell only so much of the goods as may be required for recovering the amount payable along with the administrative expenditure incurred on the recovery process.
- (2) The said goods shall be sold through a process of auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-10** clearly indicating the goods to be sold and the purpose of sale.
- (3) The last day for submission of bid or the date of auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (2):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

- (4) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (5) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of auction. On payment of the full bid amount, the proper officer shall transfer the possession of the said goods to the successful bidder and issue a certificate in **FORM GST DRC-12**.
- (6) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (2), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.
- (7) The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
- **145.** Recovery from a third person.-(1)The proper officer may serve upon a person referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 79 (hereafter referred to in this rule as "the third person"), a notice in **FORM GST DRC-13** directing him to deposit the amount specified in the notice.
- (2) Where the third person makes the payment of the amount specified in the notice issued under sub-rule (1), the proper officer shall issue a certificate in **FORM GST DRC-14** to the third person clearly indicating the details of the liability so discharged.
- **146. Recovery through execution of a decree, etc.-** Where any amount is payable to the defaulter in the execution of a decree of a civil court for the payment of money or for sale in the enforcement of a mortgage or charge, the proper officer shall send a request in **FORM GST DRC-15** to the said court and the court shall, subject to the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), execute the attached decree, and credit the net proceeds for settlement of the amount recoverable.
- 147. Recovery by sale of movable or immovable property.-(1)The proper officer shall prepare a list of movable and immovable property belonging to the defaulter, estimate their value as per the prevalent market price and issue an order of attachment or distraint and a notice for sale in FORM GST DRC- 16 prohibiting any transaction with regard to such movable and immovable property as may be required for the recovery of the amount due:

Provided that the attachment of any property in a debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any Court, shall be attached in the manner provided in rule 151.

- (2) The proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect.
- (3) Where the property subject to the attachment or distraint under sub-rule (1) is-
 - (a) an immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property and shall remain affixed till the confirmation of sale;
 - (b) a movable property, the proper officer shall seize the said property in accordance with the provisions of chapter XIV of the Act and the custody of the said property shall either be taken by the proper officer himself or an officer authorised by him.
- (4) The property attached or distrained shall be sold through auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC-17** clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale.
- (5) Notwithstanding anything contained in the provision of this Chapter, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the proper officer may, instead of selling it by public auction, sell such instrument or a share through a broker and the said broker shall deposit to the Government so much of the proceeds of such sale, reduced by his commission, as may be required for the discharge of the amount under recovery and pay the amount remaining, if any, to the owner of such instrument or a share.
- (6) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.
- (7) The last day for the submission of the bid or the date of the auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (4):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

- (8)Where any claim is preferred or any objection is raised with regard to the attachment or distraint of any property on the ground that such property is not liable to such attachment or distraint, the proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit.
- (9) The person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order issued under sub-rule (1) he had some interest in, or was in possession of, the property in question under attachment or distraint.
- (10)Where, upon investigation, the proper officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, on the said date, in the possession of the defaulter or of any other person on his behalf or that, being in the possession of the defaulter on the said date, it was in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for any other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the proper officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or distraint.
- (11)Where the proper officer is satisfied that the property was, on the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the proper officer shall reject the claim and proceed with the process of sale through auction.
- (12) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of such

notice and after the said payment is made, he shall issue a certificate in **FORM GST DRC-12** specifying the details of the property, date of transfer, the details of the bidder and the amount paid and upon issuance of such certificate, the rights, title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder:

Provided that where the highest bid is made by more than one person and one of them is a co-owner of the property, he shall be deemed to be the successful bidder.

- (13) Any amount, including stamp duty, tax or fee payable in respect of the transfer of the property specified in sub-rule (12), shall be paid to the Government by the person to whom the title in such property is transferred.
- (14) Where the defaulter pays the amount under recovery, including any expenses incurred on the process of recovery, before the issue of the notice under sub-rule (4), the proper officer shall cancel the process of auction and release the goods.
- (15)The proper officer shall cancel the process and proceed for re-auction where no bid is received or the auction is considered to be non-competitive due to lack of adequate participation or due to low bids.
- **148.** Prohibition against bidding or purchase by officer.-No officer or other person having any duty to perform in connection with any sale under the provisions of this Chapter shall, either directly or indirectly, bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold.
- **149. Prohibition against sale on holidays.**-No sale under the rules under the provision of this chapter shall take place on a Sunday or other general holidays recognized by the Government or on any day which has been notified by the Government to be a holiday for the area in which the sale is to take place.
- **150. Assistance by police.**-The proper officer may seek such assistance from the officer-in-charge of the jurisdictional police station as may be necessary in the discharge of his duties and the said officer-in-charge shall depute sufficient number of police officers for providing such assistance.
- **151.** Attachment of debts and shares, etc.- (1)A debt not secured by a negotiable instrument, a share in a corporation, or other movable property not in the possession of the defaulter except for property deposited in, or in the custody of any court shall be attached by a written order in **FORM GST DRC-16** prohibiting.-
 - (a) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof until the receipt of a further order from the proper officer;
 - (b) in the case of a share, the person in whose name the share may be standing from transferring the same or receiving any dividend thereon;
 - (c) in the case of any other movable property, the person in possession of the same from giving it to the defaulter.
- (2) A copy of such order shall be affixed on some conspicuous part of the office of the proper officer, and another copy shall be sent, in the case of debt, to the debtor, and in the case of shares, to the registered address of the corporation and in the case of other movable property, to the person in possession of the same.
- (3) A debtor, prohibited under clause (a) of sub-rule (1), may pay the amount of his debt to the proper officer, and such payment shall be deemed as paid to the defaulter.

- **152.** Attachment of property in custody of courts or Public Officer.-Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the proper officer shall send the order of attachment to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held till the recovery of the amount payable.
- 153. Attachment of interest in partnership.- (1) Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter, being a partner, in the partnership property, the proper officer may make an order charging the share of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the certificate, and may, by the same or subsequent order, appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership, and direct accounts and enquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances of the case may require.

 (2) The other partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or, in the case of a sale being directed, to purchase the same.
- **154.** Disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property. The amounts so realised from the sale of goods, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter shall,-
 - (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
 - (b) next, be appropriated against the amount to be recovered;
 - (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017and the rules made thereunder; and
 - (d) any balance, be paid to the defaulter.
- **155. Recovery through land revenue authority.** Where an amount is to be recovered in accordance with the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall send a certificate to the Collector or Deputy Commissioner of the district or any other officer authorised in this behalf in **FORM GST DRC- 18** to recover from the person concerned, the amount specified in the certificate as if it were an arrear of land revenue.
- **156. Recovery through court.-**Where an amount is to be recovered as if it were a fine imposed under the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer shall make an application before the appropriate Magistrate in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 in **FORM GST DRC- 19** to recover from the person concerned, the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.
- **157.Recovery from surety**.-Where any person has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were the defaulter.
- **158.** Payment of tax and other amounts in installments.-(1) On an application filed electronically by a taxable person, in FORM GST DRC- 20, seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due under the Act or for allowing payment of such taxes or amount in installments in accordance with the provisions of section 80, the Commissioner shall call for a report from the jurisdictional officer about the financial ability of the taxable person to pay the said amount.
- (2) Upon consideration of the request of the taxable person and the report of the jurisdictional officer, the Commissioner may issue an order in FORM GST DRC- 21

allowing the taxable person further time to make payment and/or to pay the amount in such monthly installments, not exceeding twenty-four, as he may deem fit.

- (3) The facility referred to in sub-rule (2) shall not be allowed where-
 - (a) the taxable person has already defaulted on the payment of any amount under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017, for which the recovery process is on;
 - (b) the taxable person has not been allowed to make payment in installments in the preceding financial year under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or any of the State Goods and Services Tax Act, 2017;
 - (c) the amount for which installment facility is sought is less than twenty–five thousand rupees.
- **159.** Provisional attachment of property.-(1) Where the Commissioner decides to attach any property, including bank account in accordance with the provisions of section 83, he shall pass an order in **FORM GST DRC-22** to that effect mentioning therein, the details of property which is attached.
- (2) The Commissioner shall send a copy of the order of attachment to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the Commissioner to that effect.
- (3) Where the property attached is of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such property or the amount that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, then such property shall be released forthwith, by an order in **FORM GST DRC-23**, on proof of payment.
- (4) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (3) in respect of the said property of perishable or hazardous nature, the Commissioner may dispose of such property and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, fee or any other amount payable by the taxable person.
- (5) Any person whose property is attached may, within seven days of the attachment under sub-rule (1), file an objection to the effect that the property attached was or is not liable to attachment, and the Commissioner may, after affording an opportunity of being heard to the person filing the objection, release the said property by an order in **FORM GST DRC-23**.
- (6) The Commissioner may, upon being satisfied that the property was, or is no longer liable for attachment, release such property by issuing an order in **FORM GST DRC-23**.
- **160. Recovery from company in liquidation.**-Where the company is under liquidation as specified in section 88, the Commissioner shall notify the liquidator for the recovery of any amount representing tax, interest, penalty or any other amount due under the Act in **FORM GST DRC -24**.
- **161.** Continuation of certain recovery proceedings.-The order for the reduction or enhancement of any demand under section 84 shall be issued in **FORM GST DRC-25**.

Chapter - XIX

Offences and Penalties

- **162. Procedure for compounding of offences.-**(1)An applicant may, either before or after the institution of prosecution, make an application under sub-section (1) of section 138 in **FORM GST CPD-01** to the Commissioner for compounding of an offence.
- (2) On receipt of the application, the Commissioner shall call for a report from the concerned officer with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for the examination of such application.
- (3) The Commissioner, after taking into account the contents of the said application, may, by order in **FORM GST CPD-02**, on being satisfied that the applicant has co-operated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, allow the application indicating the compounding amount and grant him immunity from prosecution or reject such application within ninety days of the receipt of the application.
- (4) The application shall not be decided under sub-rule (3) without affording an opportunity of being heard to the applicant and recording the grounds of such rejection.
- (5) The application shall not be allowed unless the tax, interest and penalty liable to be paid have been paid in the case for which the application has been made.
 - (6) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3), pay the compounding amount as ordered by the Commissioner and shall furnish the proof of such payment to him.
 - (7) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the time specified in subrule (6), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and be void.
 - (8) Immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the Commissioner, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars or had given false evidence. There upon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions the Act shall apply as if no such immunity had been granted.";
- (vii) for "FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07 and FORM GST-RFD-10", the following FORMS shall respectively be substituted, namely:-

"FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-10 and FORM GST-RFD-11".

FORM-GST-RFD-01

[See rule 89(1)]

Application for Refund

Select: Registered / Casual / Unregistered / Non-resident taxable person

- 1. GSTIN/Temporary ID:
- 2. Legal Name:
- 3. Trade Name, if any:
- 4. Address:

5. Tax Period: From <DD/MM/YY> To <DD/MM/YY>

6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

- 7. Grounds of Refund Claim: (select from the drop down):
 - (a) Excess balance in Electronic Cash ledger
 - (b) Exports of services- With payment of Tax
 - (c) Exports of goods / services- Without payment of Tax, i.e., ITC accumulated
 - (d) On account of assessment/provisional assessment/ appeal/ any other order
 - (i) Select the type of Order:

Assessment/ Provisional Assessment/ Appeal/ Others

- (ii) Mention the following details:
 - 1. Order No.
 - 2. Order Date <calendar>
 - 3. Order Issuing Authority
 - 4. Payment Reference No. (of the amount to be claimed as refund)

(If Order is issued within the system, then 2, 3, 4 will be auto populated)

- (e) ITC accumulated due to inverted tax structure (clause (ii) of proviso to section 54(3)
- (f) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer or Recipient of Deemed Exports

(Select the type of supplier/recipient)

- 1. Supplies to SEZ Unit
- 2. Supplies to SEZ Developer
- 3. Recipient of Deemed Exports

- (g) Refund of accumulated ITC on account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer
- (h) Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued
- (i) Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa
- (j) Excess payment of tax, if any
- (k) Any other (*specify*)
- 8. Details of Bank Account (to be auto populated from RC in case of registered taxpayer)

(a) Bank Account Number

(b) Name of the Bank

(c) Bank Account Type

(d) Name of account holder

(e) Address of Bank Branch

(f) IFSC :

(g) MICR :

9. Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable Yes No

DECLARATION

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making nil rated or fully exempt supplies.

Signature

Name -

Designation / Status

DECLARATION

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

10.

Name –	
Designation / Status	
\$	SELF- DECLARATION
affirm and certify that in respect interest, or any other amount for	(Applicant) having GSTIN/ temporary Id, solemnly to fthe refund amounting to Rs/ with respect to the tax, the period fromto, claimed in the refund application, erest has not been passed on to any other person.
	required to be furnished by applicants, who are use (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or of section 54)
Verification	
information given herein a knowledge and belief and r	hereby solemnly affirm and declare that the above is true and correct to the best of my/our nothing has been concealed therefrom. on this account has been received by us earlier.
Place Signatory Date	Signature of Authorised
Date	(Name) Designation/ Status

Statement -1 (Annexure 1)

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of proviso to section 54(3)]

Part A: Outward Supplies (GSTR-1: Table 4 and 5)

GSTIN/ UIN	Iı	nvoice detai	ils	Rate	Taxable		Amo	unt		Place of
	No.	Date	Value		value	Integrated Tax	Supply			
										(Name of
										State)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Part B: Inward Supplies
[GSTR 2: Table 3 (Matched Invoices)]

GSTIN Invoice details Rate Taxable Amount of Tax Place Whether input Amount of ITC available of value of or input service/ Integrated Central State/ Cess supplier supply Capital goods Tax UT Tax (incl plant and (Name Tax CESS Value Central State/ No Date Integrated machinery)/ of UT Tax tax State) Ineligible for Tax ITC 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 6

Note -The data shall be auto-populated from GSTR-1 and GSTR-2.

Statement- 2

Refund Type: Exports of services with payment of tax (GSTR- 1: Table 6A and Table 9)

1.

GSTI		Inv	oice details		Inte	grated	Tax	BRC/ FIR	C.	Amended	Debit Note	Credit Note	Net Integrated
N of						Taxabl				Value	Integrated	Integrated	Tax
recipi	No.	Date	Value	SAC	Rate	e	Amt.	•	Date	(Integrate	Tax /	Tax /	=(11/8)+12-
ent	INO.	Date	value		Nate	value	AIII.	No.	Date	d Tax)	Amended	Amended	13
						value				(If Any)	(If any)	(If any)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6A. Ex	ports												
		•											

BRC/FIRC details are mandatory—in case of services

Statement- 3

Refund Type:Export without payment of Tax-Accumulated ITC (GSTR- 1: Table 6A)

GSTIN of recipient		Invoice details						Shipp	oing bill/ l export	Bill of	Int	egrated T	ax	EGM D	etails	BRC/	FIRC
	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN/ SAC	UQC	QTY	No.	Date	Port Code	Rate	Taxable value	Amt.	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6A. Export	ts					•							•				

Note - 1. Shipping Bill and EGM are mandatory; - in case of goods.

2. BRC/FIRC details are mandatory—in case of Services

Statement 4 Supplies to SEZ/ SEZ developer

Refund Type:On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ Developer (GSTR- 1: Table 6B and Table 9)

GSTIN of	Invoi	ce detail	S	Shippin	g bill/ Bill	In	tegrated Ta	ax	Amended	Debit Note	Credit Note	Net
recipient				of e	export				Value	Integrated	Integrated Tax /	Integrated
									(Integrated	Tax /	Amended	Tax
									Tax)	Amended	(If any)	= (10/9) +
		No. Data Valua							(If Any)	(If any)		11 - 12
	No.	No. Date Value		No	Date	Rate	Taxable	Amt.	Amt.	Amt.	Amt.	Amt.
							Value					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6B: Supplies m	ade to SEZ/S	e to SEZ/ SEZ developer										

(GSTR- 5: Table 5 and Table 8)

GSTIN/	In	voice de	etails	Rate	Taxable		Amoun	t		Place	Amended	Debit	Credit	Net
UIN	No.	Date	Value		value	Integrated	Central	State	Cess	of	Value	Note	Note	Integrated
						Tax	Tax	/		Supply	(Integrated	Integrated	Integrated	Tax
								UT		(Name	Tax)	Tax /	Tax /	= (12/7) +
								Tax		of	(If Any)	Amended	Amended	13 - 14
										State)		(If any)	(If any)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement 5 Recipient of Deemed exports etc.

(GSTR-2: Table 3 and Table 6)

GSTI	Inv	oice d	etails	Ra	Taxa	A	mount o	f Tax		Plac	Whether	Amou	nt of ITC	availal	ble	Amend	Debit	Cred	Net
N				te	ble					e of	input or					ed	Note	it	ITC
of					value					supp	input					Value	ITC	Note	Integ
suppl										ly	service/					(ITC	Integra	ITC	rated
ier										(Na	Capital					Integra	ted	Integ	Tax
										me	goods					ted	Tax /	rated	=
										of	(incl					Tax)	Amend	Tax /	(17/
										Stat	plant					(If	ed	Ame	7)+
										e)	and					Any)	(If	nded	18 –
											machine						any)	(If	19
											ry)/	Integra	Cent	Stat	Ce			any)	
											Ineligibl	ted	ral	e/	SS				
	N	Da	Val			Integra	Cent	Stat	CE		e for	Tax	Tax	UT					
	О	te	ue			ted tax	ral	e/	SS		ITC			Tax					
							Tax	UT											
								Tax											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Statement 6:

Refund Type: Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa Order Details (issued in pursuance of Section 77 (1) and (2), if any:

Order No:	:		Or	der Date	e:									
GSTIN/	De	tails	of inv	oice cove	ering transac	tion consi	dered as i	ntra –	State / inter-State	Transaction	which w	ere held i	inter S	State / intra-State
UIN					transa	action earl	ier				supp	ly subsequ	uently	7
Name														
(in case														
B2C)		Invo	oice de	etails	Integrated	Central	State/	Cess	Place of Supply	Integrated	Central	State/	Cess	Place of Supply
					Tax	Tax	UT Tax	(only if different from the location	Tax	Tax	UT Tax		(only if different	
	No.	Date	Value	Taxable	Amt	Amt	Amt	Amt	Amt	from the location				
				Value					of recipient)					of recipient)
1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12									13	14	15		
			'		,	-			- 0		- -			-0

Statement 7:

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of Last Return filed.

Refund on account excess payment of tax

(In case of taxpayer who filed last return GSTR-3 - table 12)

Sr. No.	Tax period	Reference no. of return	Date of filing return		Tax Payab	ole	
				Integrated Tax	Central Tax	State/ UTTax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

Annexure-2

Certificate

This is to certify that in respect of the refund amounting to INR <<>> ------ (in words) claimed by M/s ------ (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period < ---->, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the Books of Accounts, and other relevant records and Returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

FORM-GST-RFD-02

[See rules90(1), 90(2) and 95(2)]

Acknowledgment

Your application for refund is hereby acknowledged against <Application Reference Number>
Acknowledgement Number :

Date of Acknowledgement :

GSTIN/ UIN/ Temporary ID, if applicable :

Applicant's Name :

Form No. :

Form Description :

Jurisdiction (tick appropriate) :

Centre State/Union Territor :

Filed by :

	Refund Application Details
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	

Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total	•	•	•	•	•	

Note 1: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status" on the GST System Portal.

Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.

FORM-GST-RFD-04

			ule 91(2)]	<u>-</u>		
Sanction C	Order No:	[See r	uie 91(2)]	D	ate: <dd <="" mm="" th=""><th>YYYY</th></dd>	YYYY
_	(GSTIN)					
	(Name)					
	(Address)					
	Pr	ovisional	Refund C	Order		
Acknowle Sir/Madan With refer	oplication Reference No. dgement No	ated	<dd m<="" td=""><td>M/YYYY></td><td></td><td></td></dd>	M/YYYY>		
			Ī			_
Sr. No	Description	Central Tax	State /UT tax	Integrated Tax	Cess	
(i)	Amount of refund claimed					
(ii)	10% of the amount claimed as refund (to be sanctioned later)					
(iii)	Balance amount (i-ii)					
(iv)	Amount of refund sanctioned					
	Bank Details					
(v)	Bank Account No. as per application					
(vi)	Name of the Bank					
(vii)	Address of the Bank /Branch					
(viii)	IFSC					
(ix)	MICR					
Date: Place:				N D	gnature (DSC) ame: esignation:	:
				O	ffice Address:	

FORM-GST-RFD-05 [See rule 91(3), 92(4), 92(5) & 94] Payment Advice

Payment Advice No: -	Date: <dd mm="" yyyy=""></dd>
To <centre> PAO/ Treasury/ RBI/ Bank</centre>	
Refund Sanction Order No	
Order Date <dd mm="" yyyy=""></dd>	
GSTIN/ UIN/ Temporary ID <>	
Name: <>	
Refund Amount (as per Order):	

Description		In	iteg	grat	ed '	Tax		(Cei	ntra	ıl T	ax		S	Stat	e/	UT	tax	Cess					
	Т	I	P	F	О	Total	Т	I	P	F	О	Total	Т	I	P	F	О	Total	Т	I	P	F	О	Total
Net																								
Refund																								
amount																								
sanctioned																								
Interest on																								
delayed																								
Refund																								
Total																								

Note - 'T' stands Tax; 'I' stands for Interest; 'P' stands for Penalty; 'F' stands for Fee and 'O' stands for Others

	Details of the Bank
(i)	Bank Account no as per application
(ii)	Name of the Bank
(iii)	Name and Address of the Bank /branch
(iv)	IFSC
(v)	MICR

Date:		Signature (DSC):
Place:		Name:
		Designation:
		Office Address:
To		
	(GSTIN/ UIN/ Temporary ID)	
	(Name)	
	(Address)	

FORM-GST-RFD-06 [See rule 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) & 96(7)]

Order No.:	[See Title 72(1),)2(3),)2(4),)2(3) Q)3(1)]	Date: <dd <="" th=""><th>MM/YYYY></th></dd>	MM/YYYY>
To(GSTIN/ UIN/ Temp (Name) (Address)	porary ID)			
Show cause notice No. (If applicable	ole)			
Acknowledgement No		Dated <dd< td=""><td>/MM/YYYY></td><td></td></dd<>	/MM/YYYY>	
	Refund S	anction/Rejection Order		
Sir/Madam,				
This has reference to your above n	nentioned application for refur	nd filed under section 54 of the	Act*/ interest on refund*.	
<< reasons, if any,	for granting or rejecting refund	d >>		
Upon examination of your applica-	tion, the amount of refund san	ctioned to you, after adjustmen	t of dues (where applicable) is as follows:
*Strike out whichever is not applic	rable			
Description	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT tax	Cess

Description		Int	tegra	rated Tax			Central Tax					State/ UT tax					Cess							
	Т	I	P	F	О	Total	Т	I	P	F	О	Total	Т	I	P	F	О	Total	T	Ι	P	F	О	Total
1. Amount of refund/interest*																								
claimed																								
2. Refund sanctioned on																								
provisional basis (Order																								
Nodate) (if applicable)																								
3. Refund amount inadmissible < <reason< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></reason<>																								
dropdown>> < Multiple reasons to be																								
allowed>																								

4. Gross amount to be paid (1-																	
2-3)																	
5. Amount adjusted against outstanding demand (if any) under the existing law or under the Act. Demand Order No date, Act Period <multiple add<="" possible-="" rows="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></multiple>																	
row to be given>																	
6. Net amount to be paid																	
Act/under section 56 of the Act [®] "Strike out whichever is not applicable (a) **and the amount is to be paid to the bank (b) the amount is to be adjusted towards reco	•	•				the T	able abov	re;									
(c) an amount ofrupees is to be adjusted be paid to the bank account specified by **Strike-out whichever is not applicable. Or *2. I hereby credit an amount of INR	l towards i him in his	recovery of application	arrears as s	specified	at seria	al num	ber 5 of t	he Tab							of	rupe	ees is to
&3. I hereby reject an amount of INR & Strike-out whichever is not applicable	t	o M/s		_having	g GST	IN _	unde	er sub	-sectio	on (.) of	Secti	on (.) c	of the	e Acı	
Date: Place:				ignature ame:	e (DS	C):											

Designation:
Office Address:

FORM-GST-RFD-07

[See rule 92(1), 92(2) & 96(6)]

Reference No.	Date: <dd mm="" yyyy=""></dd>
To	
(GSTIN/UIN/Temp.ID No.)	
(Name)	
(Address)	
Acknowledgement No	Dated <dd mm="" yyyy=""></dd>

Sir/Madam,

With reference to your refund application as referred above and further furnishing of information/filing of documents against the amount of refund sanctioned to you has been completely adjusted against outstanding demands as per details below:

	Refund Calculation	Integrated	Central	State/	Cess
		Tax	Tax	UT Tax	
(i)	Amount of Refund claimed				
(ii)	Net Refund Sanctioned on Provisional Basis (Order Nodate)				
(iii)	Refund amount inadmissible rejected < <reason dropdown="">></reason>				
(iv)	Refund admissible (i-ii-iii)				
(v)	Refund adjusted against outstanding demand (as per order no.) under existing law or under this law Demand Order No date <multiple be="" given="" may="" rows=""></multiple>				
(vi)	Balance amount of refund	Nil	Nil		Nil

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is completely adjusted against the outstanding demand under this Act / under the existing law. This application stands disposed as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

OR

Part-B

Order for withholding the refund

This has reference to your refund application referred to above and information/ documents furnished in the matter. The amount of refund sanctioned to you has been withheld due to the following reasons:

Refund Order No.:	

Date	of issuance of Order:				
Sr.	Refund Calculation	Integrated	Central	State/UT Tax	Cess
No.		Tax	Tax		
i.	Amount of Refund Sanctioned				
ii.	Amount of Refund Withheld				
iii.	Amount of Refund Allowed				

					İ	
iii.	Amount of Refund Allowed					
Reas	ons for withholding of the refund:					
	< <text>></text>					
abov	I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reasons. This order is issued as per provisions under sub-section () of Section () of the Act.					
Date Place				Signature (DSC) Name: Designation: Office Address:	:	

FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

1.	UIN	:						
2.	Name :							
3.	Address :							
4.	Tax Period (Quarter) <dd mm="" yy=""></dd>	: From <dd mm="" yy=""> To</dd>						
5.	Amount of Refund Claim : <in< td=""><td>NR><in words=""></in></td></in<>	NR> <in words=""></in>						
		Amount						
	Central Tax							
	State /UT Tax							
	Integrated Tax							
	Cess							
	Total							
	Details of Bank Account: a. Bank Account Number b. Bank Account Type c. Name of the Bank d. Name of the Account Holder/Operator e. Address of Bank Branch f. IFSC g. MICR Reference number and date of furnishing FORM Verification	GSTR-11						
0.	I as an authorised representative of organization >> hereby solemnly affirm and deabove is true and correct to the best of my known concealed therefrom. That we are eligible to claim such refund as Financial Institution and Organization, Consulat other person/ class of persons specified/ notified by	sclare that the information given herein wledge and belief and nothing has been specified agency of UNO/Multilateral e or Embassy of foreign countries/ any						
	Date: Signatory: Place:	Signature of Authorised Name: Designation / Status						

services.

FORM GST RFD-11

[See rule 96A]

Furnishing of bond or Letter of Undertaking for export of goods or services

1. GSTIN	J			
2. Name				
3. Indica	te the type of document furnished	Bond:	Letter of Und	ertaking
4. Detail	s of bond furnished			
		Ι _	Ι.	T = -
Sr. No.	Reference no. of the bank guarantee	Date	Amount	Name of bank and
				branch
1	2	3	4	5
1		3	7	3
37 . T		1 1 11 1 6		. 1 1
Note – Hard copy of the bank guarantee and bor		nd shall be furn	nished to the jur	isdictional officer.
5. Declar	ration -			
			.:	
((i) The above-mentioned bank guarantee is submitted to secure the integrated ta			e the integrated tax
	payable on export of goods or services.			
(i	i) I undertake to renew the bank gu	I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In case I/We fail to		
	do so the department will be at liberty to get the payment from the bank against			
	the bank guarantee.			
(i	The department will be at liberty to invoke the bank guarantee provided by us to			

cover the amount of integrated tax payable in respect of export of goods or

Name

Date -----

Signature of Authorized Signatory

Designation / Status -----

Bond for export of goods or services without payment of integrated tax (See rule 96A)

I/Weof,hereinafter called "obligor(s)", am President of India (hereinafter called "the President") in the sum the President for which payment will and truly to be made.	
I/We jointly and severally bind myself/ourselves and my administrators/ legal representatives/successors and assig thisday of;	
WHEREAS the above bounden obligor has been permitted from services for export out of India without payment of integrated tax; and whereas the obligor desires to export goods or services in acceptance (a) of sub-section (3) of section 16;	
AND WHEREAS the Commissioner has required the obligor to fundamentary of the Programment of the Programment of the Programment of the Programment of the Commissioner the The condition of this bond is that the obligor and his representation of the Programment o	resident and whereas the obligor has bank guarantee as afore mentioned; ive observe all the provisions of the
AND if the relevant and specific goods or services are duly exported AND if all dues of Integrated tax and all other lawful charges, are with interest, if any, within fifteen days of the date of demand there officer, this obligation shall be void;	e duly paid to the Government along
OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any be in full force and virtue:	part of this condition, the same shall
AND the President shall, at his option, be competent to make goo amount of bank guarantee or by endorsing his rights under the above	
I/We further declare that this bond is given under the orders of the an act in which the public are interested;	e Government for the performance of
IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed obligor(s).	the day hereinbefore written by the
Signature(s) of obligor(s). Date: Place:	
Witnesses (1) Name and Address (2) Name and Address	Occupation Occupation
Accepted by me thisday of(year)	(month)

(Designation) for and on behalf of the President of India.". Letter of Undertaking for export of goods or services without payment of integrated tax (See rule 96A)
To The President of India (hereinafter called the "President"), acting through the proper officer
I/We of (address of the registered person) having Goods & Services Tax Identification Number No
, hereinafter called "the undertaker(s) including my/our respective heirs, executors/administrators, legal representatives/successors and assigns by these presents, hereby jointly and severally undertake on this
(a) to export the goods or services supplied without payment of integrated tax within time specified in sub-rule (1) of rule 96A; (b) to observes all the provisions of the Goods and Services Tax Act and rules made thereunder, in respect of export of goods or services;
(c) pay the integrated tax, thereon in the event of failure to export the goods or services, along with an amount equal to eighteen percent interest per annum on the amount of tax not paid, from the date of invoice till the date of payment.
I/We declare that this undertaking is given under the orders of the proper officer for the performance of enacts in which the public are interested. IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the undertaker(s) Signature(s) of undertaker(s). Date: Place:
Witnesses (1) Name and Address (2) Name and Address Occupation Occupation Date Place
Accepted by me thisday of
India

FORM GST INS-1 AUTHORISATION FOR INSPECTION OR SEARCH

[See rule 139 (1)]

To	
·	ame and Designation of officer) Whereas information has been presented before me and I have reasons to lieve that—
A.	M/s
	has suppressed transactions relating to supply of goods and/or services has suppressed transactions relating to the stock of goods in hand, has claimed input tax credit in excess of his entitlement under the Act has claimed refund in excess of his entitlement under the Act has indulged in contravention of the provisions of this Act or rules made thereunder to evade tax under this Act;
	OR
В.	M/s
	is engaged in the business of transporting goods that have escaped payment of tax is an owner or operator of a warehouse or a godown or a place where goods that have escaped payment of taxhave been stored has kept accounts or goods in such a manner as is likely to cause evasion of tax payable under this Act.
	OR
C.	
	goods liable to confiscation / documents relevant to the proceedings under the Act are secreted in the business/residential premises detailed herein below << Details of the Premises>
Th	erefore,—
	in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (1) of section 67 of the Act, I authorize and require you to inspect the premises belonging to the above mentioned person with such assistance as may be necessary for inspection of goods or documents and/or any other things relevant to the proceedings under the said Act and rules made thereunder.

in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67 of the Act, I authorize and require you to search the above premises with such assistance as may be necessary, and if any goods or documents and/or other things relevant to the proceedings under the Actare found, to seize and produce the same forthwith before me for further action under the Act and rules made thereunder.

Any attempt on the part of the person to mislead, tamper with the evidence, refusal to answer the questions relevant to inspection / search operations, making of false statement or providing false evidence is punishable with imprisonment and /or fine under the Act read with section 179, 181, 191 and 418 of the Indian Penal Code.

Given under my hand & seal this day of (month) 20.... (year). Valid for day(s).

Seal

Place the

Signature, Name and designation of issuing authority

Name, Designation & Signature of the Inspection Officer/s

- (i)
- (ii)

FORM GST INS-02 ORDER OF SEIZURE

[See rule 139 (2)]

Whereas an inspection under sub-section (1)/sea	arch u	ınder	sub-section	n (2)
of Section 67 was conducted by me on//	at _	_:	AM/PM in	the
following premise(s):				
< <details of="" premises="">></details>				

which is/are a place/places of business/premises belonging to:

<<Name of Person>>

<<GSTIN, if registered>>

in the presence of following witness(es):

- 1. <<Name and address>>
- 2. <<Name and address>>

and on scrutiny of the books of accounts, registers, documents / papers and goods found during the inspection/search, I have reasons to believe that certaingoods liable to confiscation and/or documents and/or books and/or things useful for or relevant to proceedings under this Act are secreted in place(s) mentioned above.

Therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67, I hereby seize the following goods/ books/ documents and things:

A) Details of Goods seized:

Sr.	Description	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
No	of goods			
1	2	3	4	5

B) Details of books / documents / things seized:

Sr.	Description	No. of books / documents / things	Remarks
No	of books / documents / things seized	seized	
1	2	3	4

and these goods and or things are being handed over for safe upkeep to:

<<Name and address>>

with a direction that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of the undersigned.

Place:	Name and Designation of the Officer
Date:	

Sr. No.	Name and address	Signature
1.		
2.		

_	_
П	· ^
J	υ.

<<Name and address>>

FORM GST INS-03 ORDER OF PROHIBITION

[See rule 139(4)]

Whereas an inspection under sub-section (1)/search under sub-section (2)
of Section 67 was conducted on// at: AM/PM in the following
premise(s):
< <details of="" premises="">></details>
which is/are a place/places of business/premises belonging to:
< <name of="" person="">></name>
< <gstin, if="" registered="">></gstin,>
in the presence of following witness(es):

- 1. <<Name and address>>
- 2. <<Name and address>>

Date:

and on scrutiny of the books of accounts, registers, documents / papers and goods found during the inspection/search, I have reasons to believe that certain goods liable to confiscation and/or documents and/or books and/or things useful for or relevant to proceedings under this Act are secreted in place(s) mentioned above.

Therefore, in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67, I hereby order that you shall not/shall not cause to remove, part with, or otherwise deal with the goods except without the previous permission of the undersigned:

Sr.	Description	Quantity or units	Make/mark or	Remarks
			model	
No	of goods			
1	2	3	4	5

Place:	Nan	ne and Designatio	n of the Officer

Signature of the Witnesses

	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

<<Name and address>>

FORM GST INS-04 BOND FOR RELEASE OF GOODS SEIZED

[See rule 140(1)]

1nereinalter called obligor(s) am neid andirmiy
bound to the President of India (hereinafter called "the President") and/or the
Governor of(State) (hereinafter called "the Governor") in the sum
ofrupees to be paid to the President / the Governor for
whichpayment will be made. I jointly and severally bind myself and myheirs/
executors/ administrators/legal representatives/successors and assigns by these
presents; datedthisday of
WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 67,
the goods have been seized vide order number
dated having valuerupees involving an
amount of tax of rupees. On my request the goods have
been permitted to be released provisionally by the proper officer on execution of
the bond of valuerupees and a security of
rupees against which cash/bank guarantee has been
furnished in favour of the President/ Governor; and

WHEREAS I undertake to produce the said goods released provisionally to me as and when required by the proper officer duly authorized under the Act.

And if all taxes, interest, penalty, fineand other lawful chargesdemanded by the proper officer are duly paid within ten days of the date of demand thereof being made in writing by the said proper officer, this obligation shall be void.

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force:

AND the President/Governor shall, at his option, be competent to make good all thelosses and damages from the amount of the security deposit or by endorsinghis rights under the above-written bond or both;

THE	WITN	ESS	THEREOF	these	presents	s have	been	signed	the
hereinb	efore w	ritten	by the obligo	or(s).					
						Signat	ure(s)	of obligo	r(s).
e:									
ee:									
nesses									
Name a	and Add	lress							
vame c	ma riaa	11033							
Name a	and Add	lress							
e									
ee									
epted	by 1	me	this		day o	of		(mo	nth)
•••••	((year))	• • • • • • • • •		(desi	gnation	n of offi	icer)
and on	behalf o	of the	President /Go	overnor					
						(Sign	ature of	f the Off	icer)
	hereinbee: ee: nesses Name a Name a ee ee	hereinbefore we hereinbefore we hereinbefore we have and Add Add Add Add Add Add Add Add Add A	hereinbefore written e: e: nesses Name and Address Name and Address e ee ee ee ee epted by me	hereinbefore written by the obligate: e: nesses Name and Address Name and Address e ee ee te te te te te ty	hereinbefore written by the obligor(s). e: nesses Name and Address Name and Address e ee te te te te te te te	hereinbefore written by the obligor(s). e: he: he: he: he: he: he: he: he: he:	Signate: Signat	Signature(s) of the colligor of the President / Governor.	Signature(s) of obligone: De : De

FORM GST INS-05 ORDER OF RELEASE OF GOODS/ THINGS OF PRISHABLE OR HAZARDOUS NATURE

[See rule 141(1)]

V	Whereas the following	ng goods and/or t	hings were seize	d on//
from th	ne following premise	(s):	-	
< <deta< td=""><td>ails of premises>></td><td></td><td></td><td></td></deta<>	ails of premises>>			
which	is/are a place/places of	of business/premise	es belonging to:	
	ne of Person>> FIN, if registered>>			
Details	s of goods seized:			
Sr.	Description	Quantity or units	Make/mark or model	Remarks
No	of goods	_	_	
1	2	3	4	5
and sin	ice these goods are of	f perishable or haz	ardous nature and	since an amount
of Rs.			(amour	nt in words and
digits),	being an amount equ	uivalent to the:		
	narket price of such good he amount of tax, interest	•	may become payable	;
has bee	en paid, I hereby orde	er the above mention	oned goods be rele	eased forthwith.
Place:		Nar	ne and Designation	on of the Officer
Date:				
То:				
< <nan< td=""><td>ne and Designation>:</td><td>></td><td></td><td></td></nan<>	ne and Designation>:	>		

[See rule 142(1)]

Reference No:							Date:	
To	Nar	TIN/ID ne dress						
Tax Period				F.Y				Act -
Section / sub-sec SCN Reference				N is being is Date ary of Shov		Notice		
(a) Brief fac	cts of the	e case						
(b) Grounds	3							
(c) Tax and	other d	ues			(A	amount ir	n Rs.)	
	Sr.	Tax	Act	Place of	Tax /	Others	Total	

(Alliount in Rs.)									
Sr.	Tax	Act	Place of	Tax /	Others	Total			
No.	Period		supply	Cess					
			(name of						
			State)						
1	2	3	4	5	6	7			
Total									

[See rule 142(1)(b)]

Reference No:	Date:
To GSTIN/ID Name Address	
	Date – Date - r which statement is being issued - ary of Statement
(a) Brief facts of the case	
(b) Grounds	
(c) Tax and other dues	(Amount in Rs.)

Sr.	Tax	Act	Place of	Tax/	Others	Total
No.	Period		supply	Cess		
			(name of			
			State)			
1	2	3	4	5	6	7
Total						

[See rule 142(2) & 142 (3)]

Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement

1.	GSTIN										
2.	Name										
3.	Cause of payment				<< d1	rop down>	>>				
						Audit, investigation, voluntary, SCN, others (specify)					
4.	Section under which voluntary payment is made					rop down>	>>				
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue					Reference No.			Date of issue		
6.	Financi	al Yea	ar				•				
7.	Details	of pay	ment made ir	ncludin	g inter	est and per	nalty,	if applica	able		
	(Amou	nt in R	Rs.)								
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Intere st	Penalty, if applicabl e	Tota 1	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

\sim	T)		
×	Reaconc	1† 9n	1 7 7
ο.	Reasons,	m an	1 V -

<< Text box>>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory
Name
Designation / Status
Date –

	ule 142(2)]	
Reference No:		Date:
To GSTIN/ID		
NameAddress		
Tax Period	F.Y	
ARN -	Date -	
The payment made by you vio acknowledged to the extent of the amount		
	N	gnature ame esignation
Copy to -		

FORM GST DRC- 05[See rule 142(3)]

[See rule 142(3)]	
Reference No:	Date:
То	
GSTIN/ID	
Name	
Address	
Tax Period	F.Y
SCN -	Date -
ARN -	Date -
Intimation of conclusion of p	roceedings
This has reference to the show cause notice paid the amount of tax and other dues mention applicable interest and penalty in accordance with the proceedings initiated vide the said notice are h	oned in the notice along with the provisions of section,

Signature Name Designation

Copy to - -

[See rule 142(4)]

Reply to the Show Cause Notice

1. GSTIN		
2. Name		
3. Details of Show Cause	Reference	Date of issue
Notice	No.	
4. Financial Year		
5. Reply		
<< Text box >>		
6. Documents uploaded		
<< List of documents >>		
7. Option for personal hearing	Yes	No

8. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory
Name
Designation / Status
Date –

[See rule 142(5)] Summary of the order

- 1. Details of order -
 - (a) Order no.
- (b) Order date
- (c) Tax period -
- 2. Issues involved -<< drop down>>

classification, valuation, rate of tax, suppression of turnover, excess ITC claimed, excess refund released, place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Amount deposited

Sr.	Tax	Act	Tax/	Interest	Penalty	Others	Total
No.	Period		Cess				
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Signature Name Designation

Date:

FORM GST DRC - 08

[See rule 142(7)]

	C	•			TA T		
ĸ	Δŧ	αr	21	nce	1	\mathbf{a}	•
1/	-1	u	-1	1	ΤN	v.	

Rectification of Order

Preamble - << Standard >> (Applicable for orders only)

Particulars of original order				
Tax period, if any				
Section under which				
order is passed				
Order no.	Date of issue			
Provision assessment	Order date			
order no., if any				
ARN, if applied for	Date of			
rectification	ARN			

$\overline{}$	Your application for rectification of the orderreferred to above has been found to be satisfactory;
\Box	found to be satisfactory;
	It has come to my noticethat the above said order requires rectification; Reason for rectification -
	<< text box >>

Details of demand, if any, after rectification

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

The aforesaid order is rectified in exercise of the powers conferred under section 161 as under:

	<< text>>
To	(GSTIN/ID) Name (Address)
Copy to -	

			[See rule	143]		
To	_					
Particulars of GSTIN – Name -	- f defaulter	-				
Demand order i	no.:			Date:		
Reference no. o Period:	of recovery:			Date:		
Orde	er for rec	overy thi	rough spe	cified officer un	der section	79
payable unde	er the pro foresaid p	visions o berson wh	f the < <sono fail<="" has="" td=""><td>ount of tax, cess, GST/UTGST/ Ced to make pay below:</td><td>CGST/ IGST/ ment of sucl</td><td>CESS>> h amount</td></sono>	ount of tax, cess, GST/UTGST/ Ced to make pay below:	CGST/ IGST/ ment of sucl	CESS>> h amount
	T. 7. (C.	.	D 1.	0.1	(Amount	i in Rs.)
Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others	Total	
1	2	3	4	5	6	
Integrated tax						
Central tax						
State/UT tax						
Cess						
Total						
			<< Rema	rks>>		
				sions of section person >>as me		
				Signature		
				Name		
				Designation	on	
Place:				-		
Date:						

[See rule 144(2)]

Notice for Auction of Goods under section 79 (1) (b) of the Act

Demand orde	er no.:	Date:	
Period:			
distrained a interest the accordance. The sale we lots specifit the default as they have lot. The auction due is paid. The price of the proper.	goods specified in the green and admissible with the provisions will be by public aucted in the Schedule. Yet. And the liabilities we been ascertained, an will be held on before the date of aucted by each lot shall be provided in the specified in the specified in the provided in the provided in the provided in the specified in the specified in the provided in the specified	tion and the goods shall be proceed the right, and claims attached to the same those specified in the Section, the sale will be stopped and at the time of sale or as ficer and in default of payments.	ery of Rs and e recovery process in put up for sale in the title and interests of said properties, so far chedule against each ent the entire amount ed. per the directions of
	Serial No.	Description of goods	Quantity
	1	2	3
Place:		Signature Name Designation	

Date:

[See rule 144(5) & 147(12)]

Notice to successful bidder

To,	
Please refer to Public Auction Reference no	
On the basis of auction conducted on, successful bidder in the instant case.	you have been found to be a
You are hereby, required to make payment of Rs. period of 15 days from the date of auction. The possession of the goods shall be transferred to full payment of the bid amount.	
	Signature
	Name
	Designation
Place:	
Date:	

[See rule 144(5) & 147(12]

Sale Certificate

Demand order no.:	Date:
Reference no. of recovery:	Date:
Period:	

This is to certify that the following goods:

Schedule (Movable Goods)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable Goods)

Schedule (Immovable Goods)									
Building	Floor	Name of	Road	Localit	Distric	Stat	PIN	Latitude	Longitude
No./	No.	the	/	y/	t	e		(optional)	
		Premises					Code		(optional)
Flat No.			Stree	Villag					
		/Building	t	e					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	l .	1	

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity	Value
1	2	3	4

> Signature Name Designation

Place: Date:

Date:

FORM GST DRC – 13

[See rule 145(1)]

[See rule 145(2)]

Certificate of Payment to a Third Person

reference no dat liability by making a payment of Rs. below:	ted	, you have	e discharge	d your
GSTIN – Name -	Data			
Demand order no.: Reference no. of recovery: Period:	Date: Date:			
This certificate will constitute a good above mentioned defaulter to the certificate.		_	•	•
		Signature Name Designation		
Place: Date:		6		
Date.				

[See rule 146]

APPLICATION BEFORE THE CIVIL COURT REQUESTING EXECUTION FOR A DECREE

То			
The Magistrate /Judge	of the Court of		
Demand order no.:	Date:	Period	
Sir/Ma'am,			
	by	e obtained in your Court on the day of(name of defaulter) in Suit No is payable to the said person. a sum of rupees under the ST/ IGST/ CESS>> Act vide order cree and credit the net proceeds fo amount as mentioned above.	or
Place:			
Date:			
		Proper Officer/ Specified Officer	

[See rule 147(1) & 151(1)]

	L	. () ()]
To		
GSTIN -		
Name -		
Address -		
Demand order no.:		Date:
Reference no. of recovery:		Date:
Period:		

Notice for attachment and sale of immovable/movable goods/shares under section 79

Whereas you have failed to pay the amount of Rs....., being the arrears of tax/cess/interest/penalty/ fee payable by you under the provisions of the <<SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act.

The immovable goods mentioned in the Table below are, therefore, attached and will be sold for the recovery of the said amount. You are hereby prohibited from transferring or creating a charge on the said goods in any way and any transfer or charge created by you shall be invalid.

Schedule (Movable)

	20220020 (2:20:00	
Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

Building	Floor	Name of	Road/	Locality	District	State	PIN	Latitude	Longitude
No./	No.	the		/				(optional)	(optional)
		Premises	Street				Code		
Flat No.				Village					
		/Building							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									·

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature Name Designation

Place: Date:

[See rule 147(4)]

Notice for Auction of Immovable/Movable Property under section 79(1) (d)

Demand order no.:	Date:
Reference number of recovery:	Date:
Period:	

Whereas an order has been made by me for sale of the attached or distrained goods specified in the Schedule below for recovery of Rs.......... and interest thereon and admissible expenditure incurred on the recovery process in accordance with the provisions of section 79.

The sale will be by public auction and the goods shall be put up for sale in the lots specified in the Schedule. The sale will be of the right, title and interests of the defaulter. And the liabilities and claims attached to the said properties, so far as they have been ascertained, are those specified in the Schedule against each lot.

The price of each lot shall be paid at the time of sale or as per the directions of the proper officer/ specified officer and in default of payment, the goods shall be again put up for auction and resold.

Schedule (Movable)

Sr. No.	Description of goods	Quantity
1	2	3

Schedule (Immovable)

Building	Floor	Name of	Road	Localit	District	Stat	PIN	Latitude	Longitude
No./	No.	the	/	y/		e		(optiona	(optional)
Flat No.		Premises	Stree	Village			Code	1)	
		/Building	t						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schedule (Shares)

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature Name Designation

Place: Date:

FORM GST DRC – 18 [See rule 155]

To	
Name & Address of District C	follector
	Deter
Demand order no.:	Date:
Reference number of recovery: Period:	Date:
	ler clause (e) of sub-section (1) section 79
I	do hereby certify that a sum of
	been demanded from and is payable by
M/s	
	T/CESS>> Act, but has not been paid and cannot be
	tter in the manner provided under the Act.
<< demand	
	ons property/resides/carries on business in your
jurisdiction the particulars of v	vnich are given nereunder: -
< <description>></description>	
You are requested to take earl	y steps to realise the sum of rupees from
the said defaulter as if it were	· -
	Signature
	Name
	Designation
Place:	
Date:	

[See rule 156]

To,				
Magistrate,				
< <name ad<="" and="" td=""><td>ldress of the Cou</td><td>rt>></td><td></td><td></td></name>	ldress of the Cou	rt>>		
Demand order no.:		Da	ate:	
Reference number of	of recovery:	Da	ate:	
Period:	•			
	Application to	o the Magistrate f	or Recovery as Fir	ıe
holding < <gsti provisions of the accordance with</gsti 	<<>>is re IN>> on accoun ne Act. You are the provisions of	coverable from < t of tax, interest a e requestedto kind	<name (1)="" a="" ally="" and="" of="" p="" p-section="" payable="" penalty="" recover="" sec<="" such="" taxable=""></name>	person>> under the amount in
the Act as II it w	•			
	J	Details of Amount		
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				
Place:		N	gnature ame esignation	

Date:

[See rule 158(1)]

Application for Deferred Payment/ Payment in Instalments

1. Name of the tax	able person-			
2. GSTIN -				
3. Period				
of time upto		d other dues or to allo	request you to allow now me to pay such tax	
Demand ID				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				
Reasons: -				Upload Document
true and correct concealed theref	to the best of my	knowledge and be	nation given herei	
Name Place - Date -				

FORM GST DRC – 21 [See rule 158(2)]

Reference No <<>> To GSTIN Name	<< Date >>
Address	
Demand Order No. Reference number of recovery: Period - Application Reference No. (ARN) -	Date: Date: Date -
Order for acceptance/rejection of applicat	ion for deferred payment /
payment in instalme	ents
This has reference to your above referred application for deferred payment instalments has been examined and in this contax and other dues by (date) or in this contax and other dues amounting to rupees OR This has reference to your above referred applicate the Act. Your application for deferred payment / instalments has been examined and it has not been your request for the following reasons:	/ payment of tax/other dues in nection, you are allowed to pay nnection you are allowed to pay in monthly instalments. tion, filed under section 80 of payment of tax/other dues in
Reasons for rejection	
Place: Date:	Signature Name Designation

[See rule 159(1)]

Reference No.:		Date:
То		
	- Name	
	/Financial Institution/Immovable pro	operty registering
	Provisional attachment of pr	coperty under section83
It is to infor	rm that M/s (name)	
	(address) bearing registration	
	N is a registered taxal	
	Act. Proceedingshave been launch	
	ler section <<>> of the said Act to	•
•	from the said person. As per information	•
	come to my notice that the said perso	
<u> </u>	at / FD/RD / depository >>account	
•	etitution>> having account no. << A	•
or		,
property located at	<pre>< << property ID & location>>.</pre>	
	ct the interests of revenue and in	exercise of the powers
	section 83 of the Act, I	
	by provisionally attach the aforesaid	
· ·	e allowed to be made from the sa	
	by the aforesaid person on the sam	-
permission of this	· ·	r
or		

The property mentioned above shall not be allowed to be disposed of without the prior permission of this department.

Signature Name Designation

Copy to -

[See rule 159(3), 159(5) & 159(6)]

Reference No.:	Date:
То	
Name	
Address	
11441455	
(Bank/ Post Office/Financial Inst	titution/Immovable property registering
authority)	
Order reference No	Date –

Restoration of provisionally attached property / bank account under section83

Please refer to the attachment of << saving / current / FD/RD>> account in your << bank/post office/financial institution>> having account no. <<----->>, attached vide above referred order, to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said accounts. Therefore, the said account may now be restored to the person concerned.

\mathbf{or}

Please refer to the attachment of property << ID /Locality>> attached vide above referred order to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said property. Therefore, the said property may be restored to the person concerned.

Signature Name Designation

Copy to -

[See rule 160]

To		
The Liquidator/Receiver,		
Name of the taxable p	erson:	
GSTIN:		
Demand order no.:	Date:	Period:

Intimation to Liquidator for recovery of amount

This has reference to your letter <<intimation no. & date>>, giving intimation of your appointment as liquidator for the <<company name>> holding <<GSTIN>>.In this connection, it is informed that the said company owes / likely to owe the following amount to the State / Central Government:

Current / Anticipated Demand

(Amount in Rs.)

Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax					
State / UT tax					
Integrated tax					
Cess					

In compliance of the provisions of section 88 of the Act, you are hereby directed to make sufficient provision for discharge of the current and anticipated liabilities, before the final winding up of the company.

	Name
	Designation
Place:	
Date:	

[See rule 161]

[See Face 101]						
Reference No << Date >>	· >>				<<	
To GSTIN Name Address						
Demand Order No.: Reference number of recovery: Period: Reference No. in Appeal or Revision or any other proceeding - Date: Date:						
• •		·			Date:	
Continuation of Recovery Proceedings This has reference to the initiation of recovery proceedings against you vide above referred recovery reference number for a sum of Rs						
Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears	
1	2	3	4	5	6	
Central tax						
State / UT tax						

Signature Name Designation

Place:	
Date:	

Cess

Integrated tax

FORM GST CPD-01

[See rule 162(1)]

Application for Compounding of Offence

1.	GSTIN / Temporary ID	
2.	Name of the applicant	
3.	Address	
4.	The violation of provisions of the Act for which	
	prosecution is instituted or contemplated	
5.	Details of adjudication order/notice	
	Reference Number	
	Date	
	Tax	
	Interest	
	Penalty	
	Fine, if any	
6.	Brief facts of the case and particulars of the	
	offence (s) charged:	
7.	Whether this is the first offence under the Act	
8.	If answer to 7 is in the negative, the details of	
	previous cases	
9.	Whether any proceedings for the same or any	
	other offence are contemplated under any other	
	law.	
10.	If answer to 9 is in the affirmative, the details	
	thereof	

DECLARATION

- (1) I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the Commissioner.
- (2) I understand that I cannot claim, as a matter of right, that the offence committed by me under the Act shall be compounded.

Signature of the applicant

Name

FORM GST CPD-02

[See rule 162(3)]

	e No:	Date:
То		
GSTIN/I	D	
Name		
Address -		
	ARN	Date –
	Order for rejec	ction / allowance of compounding of offence
	•	oplication referred to above. Your application hament and the findings are as recorded below:
	// towt >	
	<< text >:	>
I am sati		
	sfied that you fulfil	the requirements to be allowed to compound the
offences i	sfied that you fulfil	the requirements to be allowed to compound the fences stated in column (2) of the table below on
offences i	sfied that you fulfil	the requirements to be allowed to compound the
offences i	sfied that you fulfil	the requirements to be allowed to compound the fences stated in column (2) of the table below on

Note: In case the offence committed by the taxable person falls in more than one category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in which the offence sought to be compounded can be categorized.

You are hereby directed to pay the aforesaid compounding amount by ----- (date) and on payment of the compounding amount, you will be granted immunity from prosecution for the offences listed in column (2) of the aforesaid table.

or	
our application is hereby rejected.	
	Signature

[File.No Va Kar / GST / 07/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

Name Designation

K.K. Khandelwal, Principal Secretary-cum-Commissioner.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide notification dated the 20^{th} June, 2017 and 29^{th} June, 2017 published vide S.O. No. 28 dated 20.06.2017 and S.O. No. 52 dated 29.06.2017.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 जुलाई, 2017

एस ओ- 56 दिनांक 13 जुलाई, 2017-- राज्य सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए झारखंड माल और सेवा कर नियम, 2017 अथार्थ अधिसूचना सं॰ 28 दिनांक 20 जून, 2017 एवं अधिसूचना सं॰ 52 दिनांक 29 जून, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखंड माल और सेवा कर नियम (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त मानी जाएगी ।
- 2. झारखंड माल और सेवा कर नियम, 2017 में,--
 - (i) नियम 44 में,--
 - (क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे :
 - (ख) उपनियम (2) के हिन्दी पाठ में संशोंधन की आवश्यकता नहीं है ;
 - (ग) उपनियम (6) में, "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्दों स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ii) नियम 96 में,--
 - (क) उपनियम (1) के खंड (ख) और उपनियम (3) में, "प्ररूप जीएसटीआर 3", शब्दों और अंकों के स्थान पर "यथास्थिति, प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख;" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
 - (ख) नियम 96 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"96क. बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय—(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,--

- (क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अविध के भीतर ; या
- (ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पंद्रह दिन की अविध के भीतर या ऐसी और अविध के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा ।

- (2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए प्ररूप जीएसटीआर-1 में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरे इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रोनिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी।
- (3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वस्ली की जाएगी।
- (4) उप नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति

द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।

- (5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा।
- (6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।"
- (iii) नियम 117 में, उपनियम (1) में "पृथक् रूप से" शब्दों के पश्चात् "धारा 140 के स्पष्टीकरण 2 में यथा परिभाषित उपयुक्त शुल्क और करों के" शब्द और अंक अंतःस्थापित जाएंगे;
- (iv) नियम 119 की शीर्षक में "अभिकर्ता" शब्द के स्थान पर "छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार" शब्द रखे जाएंगे ।
- (v) नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"अध्याय 17 निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

- 139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।
- (2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी

या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप जीएसटी आईएनएसए-02 में अभिग्रहण का आदेश करेगा।

- (3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसासे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्रवाई करेगा।
- (4) जहां ऐसे किसी माल को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा।
- (5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ-साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है।
- 140. अभिगृहीत माल के निर्मोचन के लिए बंधपत्र और प्रतिभूति -- (1) अभिगृहीत माल को, प्ररूप जीएसटी आईएनएस-04 में माल के मूल्य के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करके और संदेय लागू कर, ब्याज और शास्ति की रकम के बराबर की बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति देकर अनंतिम आधार पर निर्मोचित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "लागू कर" के अंतर्गत, माल और सेवाएं (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के अधीन संदेय, यथास्थिति, केन्द्रीय कर और राज्य कर या केन्द्रीय कर और संघ राज्यक्षेत्र कर तथा उपकर, यदि कोई हो, भी है।

- (2) यदि ऐसा व्यक्ति, जिसको अनंतिम रूप से माल का निर्मोचन किया गया था, उचित अधिकारी द्वारा यथा उपदर्शित नियत तारीख और स्थान पर माल प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे माल के संबंध में प्रतिभूति नकद में ली जाएगी और उसे संदेय कर, ब्याज और शास्ति तथा जुर्माने, यदि कोई हों, के प्रति समायोजित किया जाएगा ।
- 141. अभिगृहीत माल के संबंध में प्रक्रिया -- (1) जहां अभिगृहीत माल या वस्तुएं विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की है और यदि कराधेय व्यक्ति, ऐसे माल या वस्तुओं की बाजार कीमत के बराबर रकम का या ऐसे कर, ब्याज और शास्ति की रकम का, जो कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय है या हो गई है, के बराबर, इनमें से जो भी निम्नतर हो, संदाय कर देता है वहां, यथास्थिति, ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05 में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा।
- (2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वस्तूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा।

अध्याय 18 मांग और वस्ती

- 142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश -- (1) उचित अधिकारी,--
 - (क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से **प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01** में, या
 - (ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

- (2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा।
- (3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा।
- (4) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा 76 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभ्यवेदन प्ररूप जीएसटी डीआरसी-06 में होगा।
- (5) धारा 73 की उपधारा (9) या धारा 74 की उपधारा (9) या धारा (76) की उपधारा (3) के अधीन जारी संक्षिप्त विवरण को इलैक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में, उसमें कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा संदेय कर, ब्याज और शास्ति की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए अपलोड किया जाएगा।
- (6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट आदेश को वस्त्री की स्चना के रूप में माना जाएगा।
- (7) उचित अधिकारी द्वारा, धारा 161 के उपबंधों के अनुसार परिशुद्धि का आदेश प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08 में दिया जाएगा ।

143. किसी ऋणग्रस्त रकम से कटौती द्वारा वसूली -- जहां अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा (जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों में "व्यतिक्रमी" कहा गया है) संदेय की रकम संदत्त नहीं की जाती है, वहां उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-09 में विनिर्दिष्ट अधिकारी से, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यतिक्रमी के प्रति किसी ऋणग्रस्त रकम से उक्त रकम की कटौती करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस अध्याय के नियमों के उपबंधों के अधीन नियमों के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के पूर्ण या भागतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी कंपनी का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।

- 144. उचित अधिकारी के नियंत्रणाधीन माल के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) जहां किसी व्यतिक्रमी से शोध्य कोई रकम, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के माल के विक्रय द्वारा वसूल की जानी है वहां उचित अधिकारी, ऐसे माल की सूची तैयार करेगा और उसके बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और केवल उतने माल के विक्रय के लिए कार्यवाही करेगा जितना वसूली प्रक्रिया पर उपगत प्रशासनिक व्यय के साथ संदेय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित हैं।
- (2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।
- (3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभवना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

- (4) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा।
- (5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अविध के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा । बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- (6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा।
- (7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुन:- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।
- 145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप जीएसटी

डीआरसी 13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा।

- (2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टत: उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- 146. किसी डिक्री, आदि, के निष्पादन के माध्यम से वस्ली -- जहां किसी रकम का किसी सिविल न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में व्यतिक्रमी को संदेय है या किसी बंधक या भार के प्रवर्तन में विक्रय के लिए है वहां उचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी डीआरसी 15 में उक्त न्यायालय को अनुरोध करेगा और न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों के अध्यधीन, संलग्न डिक्री का निष्पादन करेगा और वस्लीय रकम के परिनिर्धारण के लिए शुद्ध आगमों को जमा करेगा।
- 147. जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय द्वारा वसूली -- (1) उचित अधिकारी, व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर सम्पत्ति की एक सूची तैयार करेगा, प्रचलित बाजार मूल्य के अनुसार उसकी कीमत का प्राक्कलन करेगा और कुर्की या करस्थम् का आदेश जारी करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी 16 में, ऐसी स्थावर और जंगम संपत्ति जो देय रकम की वसूली के लिए अपेक्षित है, के संबंध में किसी संव्यवहार को प्रतिषिद्ध करते हुए विक्रय के लिए सूचना जारी करेगा:

परन्तु कोई ऋण जो पराक्रम्य लिखत द्वारा, किसी निगम में कोई अंश या अन्य जंगम संपितत द्वारा प्रतिभूत नहीं है, में किसी संपितत की कुर्की जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, किसी न्यायालय में निक्षेपित या अभिरक्षा में संपितत से भिन्नि, नियम 151 में उपबंधित रीति से कुर्क की जाएगी।

(2) उचित अधिकारी, कुर्की या करस्थम् आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को, स्थावर या जंगम संपत्ति पर विल्लंगम रखने को भेजेगा जो केवल उचित अधिकारी द्वारा उस प्रभाव के लिखित निदेशों पर हटाया जाएगा ।

- (3) जहां उपनियम (1) के अधीन कुर्की या करस्थम् के अध्यधीन, कोई संपत्ति--
- (क) स्थावर संपत्ति है, कुर्की या करस्थम् आदेश उक्त संपत्ति पर चिपकाया जाएगा और विक्रय की पृष्टि होने तक चिपका रहेगा ।
- (ख) कोई जंगम संपितत है, वहां उचित अधिकारी उक्त संपितत को इस प्रकार अधिनियम के अध्याय 14 के उपबंधों के उक्त संपितत का अभिग्रहण करेगा और उक्त संपितत की अभिरक्षा या तो उचित अधिकारी के द्वारा स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ली जाएगी।
- (4) कुर्की या करस्थम् की गई संपत्ति नीलामी के माध्यम से विक्रय की जाएगी, जिसके अन्तर्गत ई-नीलामी भी है, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी 17 में सूचना, विक्रय की जाने वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा ।
- (5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपित, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा।
- (6) उचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली

लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपहृत किया जा सकेगा।

(7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा।

- (8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपित की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपित ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुल्तवी कर सकेगा।
- (9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था।
- (10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो व्यतिक्रमी के कब्जे में थी, वह उसके स्वयं की या उसके स्वामित्वाधीन सम्पत्ति नहीं थी अपितु किसी अन्य व्यक्ति की या उसके न्यास की थी या भागत: उसकी स्वयं की और भागत: किसी अन्य व्यक्ति की थी, वहां उचित अधिकारी, ऐसी

सम्पत्ति को, पूर्णतः या ऐसे विस्तार तक, जो वह ठीक समझे, कुर्की या करस्थम् से निर्मोचन का अधिकार देगा ।

- (11) जहां उचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को संपत्ति व्यतिक्रमी के कब्जे में उसकी अपनी संपत्ति के रूप में थी, न कि किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी पर, या उसके लिए न्यास में किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में था या किसी किरायेदार या किसी अन्य व्यक्ति जो उसे किराया दे रहा था, के अधिभोग में था उचित अधिकारी दावा नामंजूर करेगा और नीलामी के माध्यम से विक्रय की प्रक्रिया अग्रसर करेगा।
- (12) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में सूचना, उससे अपेक्षा करते हुए कि रकम का संदाय ऐसे सूचना की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर करे, जारी करेगा और जब उक्त संदाय हो जाता है तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी 12 में संपत्ति के ब्यौरे, अंतरण की तारीख, बोली लगाने वाले के ब्यौरे और संदत्त रकम, विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र जारी होने पर ऐसे बोली लगाने वाले को संपत्ति में अधिकार, हक और हित अंतरित समझे जाएंगे:

परन्तु जहां अधिकतम बोली एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लगाई जाती है और उनमें से एक संपत्ति का सहस्वामी है वहां वह सफल बोली लगाने वाला समझा जाएगा ।

- (13) उपनियम (12) में विनिर्दिष्ट संपितत के अंतरण के संबंध में देय कोई रकम, जिसके अंतर्गत स्टाम्प शुल्क, कर या फीस भी है, उस व्यक्ति द्वारा सरकार को संदत्त की जाएगी जिसे ऐसी संपितत में हक अंतरित किया जाता है।
- (14) उपनियम (4) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, जहां व्यतिक्रमी वसूली अधीन रकम का संदाय करता है, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी हैं, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया को रद्द करेगा और माल को निर्मोचित करेगा।

- (15) जहां कोई बोलियां प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की के कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया को रद्द करेगा और पुन:- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।
- 148. अधिकारी द्वारा बोली लगाने या क्रय करने का प्रतिषेध--कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, विक्रय संपत्ति में किसी हित का अर्जन या हित अर्जन करने का प्रयास करने के लिए बोली नहीं लगाएगा।
- 149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध--इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा।
- 150. पुलिस द्वारा सहायता -- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निवर्हन के लिए आवश्यक हो, मांग सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा।
- 151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की -- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-16 में लिखित आदेश द्वारा,--
 - (क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;

- (ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ;
- (ग) किसी अन्य जंगम सम्पित्त के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा ।
- (2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रिजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पित्त के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी।
- (3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा।
- 152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए।
- 153. भागीदारी में हित की कुर्की -- (1) जहां कुर्की की जाने वाली सम्पित्त में, व्यतिक्रमी का किसी भागीदारी में एक भागीदार होने पर एक हित सम्मिलित है, वहां उचित अधिकारी प्रमाणपत्र के अधीन, शोध्य राशि के ऐसे संदाय के साथ भागीदारी सम्पित्त में ऐसे भागीदार के हिस्से और लाभों को प्रभारित करते हुए एक आदेश कर सकेगा और उसी या पश्चात्वर्ती आदेश द्वारा ऐसे लाभों जो पहले से ही घोषित हों या प्रोद्भृत हुए हैं और ऐसे अन्यधन जो उसे भागीदारी के सम्बन्ध में उस पर शोध्य हो गए हों में ऐसे भागीदार के हिस्से के सम्बन्ध में रिसीवर नियुक्त कर सकेगा, लेखा और जाँच के लिए निदेश दे सकेगा और ऐसे हित के विक्रय के लिए आदेश कर सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षा हो।

- (2) अन्य भागीदारों को किसी भी समय, प्रभारित हित का मोचन करने या विक्रय का निदेश किए जाने की दशा में, उसका क्रय करने की स्वतंत्रता होगी।
- 154. माल और जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के आगमों का व्ययन -- किसी व्यतिक्रमी से शोध्य की वसूली के लिए, माल, जंगम या स्थावर सम्पत्ति के विक्रय से इस प्रकार प्राप्त की गई रकमें,--
- (क) प्रथमतया, वसूली प्रक्रिया पर हुए प्रशासनिक व्यय के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;
- (ख) तत्पश्चात् वसूली की जाने वाली रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी ;
 - (ग) तत्पश्चात् अधिनियम, या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) या किसी राज्य का राज्य माल और सेवा कर अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन व्यतिक्रमी से शोध्य किसी अन्य रकम के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी; और
 - (घ) व्यतिक्रमी को संदत्त किए जाने वाले किसी अधिशेष के विरुद्ध विनियोजित की जाएगी।
- 155. भू-राजस्व प्राधिकारी के माध्यम से वसूली -- जहां किसी रकम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के उपबंधों के अनुसार वसूली की जानी है, वहां उचित अधिकारी जिले के कलक्टर या उपायुक्त को या प्ररूप जीएसटीडी आरसी-18 में इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को एक प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र में, विनिर्दिष्ट रकम की सम्बंधित व्यक्ति से वसूली के लिए भेजेगा, जैसे कि यह भू-राजस्व की बकाया रकम थी।
- 156. न्यायालय के माध्यम से वस्ली -- जहां किसी रकम की ऐसे वस्ली की जानी है जैसे कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो, वहां उचित अधिकारी धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपबन्धों के अनुसार समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्ररूप जीएसटीडी आरसी-19 में सम्बंधित व्यक्ति से तद्बीन विनिर्दिष्ट रकम की वस्ली के

लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो ।

- 157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोध्य रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो ।
- 158. किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोध्य करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयाविध के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए प्ररुप जीएसटीडी आरसी-20, में इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की माँग करेगा।
- (2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनिधक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-21 में एक आदेश जारी कर सकेगा।
- (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--
 - (क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है;
 - (ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या किसी राज्य के राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अन्जात नहीं किया गया है;

- (ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है।
- 159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सिहत, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररुप जीएसटीडी आरसी-22 में तद्धीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
- (2) आयुक्त कुर्की के आदेश की प्रति सम्बंधित राजस्व प्राधिकारी या परिवहन प्राधिकारी या किसी ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, कि वह उक्त जंगम या स्थावर सम्पत्ति पर विल्लंगम रखे, जो केवल आयुक्त के इस निमित्त लिखित अनुदेशों पर ही हटाया जाएगा।
- (3) जहां कुर्की की गई सम्पित्त विनश्वर या पिरसंकटमय प्रकृति की है, और यदि कराधेय व्यक्ति ऐसी सम्पित्त के बाजार मूल्य के समतुल्य रकम का संदाय करता है या ऐसी रकम का संदाय करता है जो कराधेय व्यक्ति पर संदेय है या संदेय बन जाती है, जो भी न्यून हो, तब ऐसी सम्पित्त, संदाय के सबूत पर, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा त्रंत निर्मृक्त की जाएगी।
- (4) जहां कराधेय व्यक्ति विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति की उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में उपनियम (3) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में विफल रहता है, वहां आयुक्त ऐसी सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगा और तद् द्वारा प्राप्त रकम, कर, ब्याज, शस्ति, शुल्क या कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी अन्य रकम के विरुद्ध समायोजित की जाएगी।
- (5) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पित कुर्की की गई है, कुर्की के सात दिवसों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन इस प्रभाव की एक आपित फाइल कर सकेगा कि कुर्की की गई सम्पित्त कुर्की किए जाने के लिए दायी नहीं थी या है, और आयुक्त आपित फाइल करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश द्वारा उक्त सम्पित को निर्मुक्त कर सकेगा।

- (6) आयुक्त इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि सम्पित्त कुर्की के लिए और अधिक दायी नहीं थी या है, प्ररूप जीएसटीडी आरसी-23 में एक आदेश जारी करते हुए ऐसी सम्पित्त को निर्मुक्त कर सकेगा।
- 160. समापनाधीन कंपनी से वस्ली -- जहां कंपनी समापनाधीन है जैसा कि धारा 88 में विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां आयुक्त, कर, ब्याज, शास्ति दर्शित करते हुए कोई रकम या अधिनियम के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम की वस्ली के लिए प्ररुप जीएसटीडी आरसी-24 में समापक को अधिस्चित करेगा।
- 161. कतिपय वस्ली कार्यवाहियों का जारी रहना -- धारा 84 के अधीन किसी माँग में कमी या वृद्धि के लिए आदेश प्ररुप जीएसटीडी आरसी-25 में जारी किया जाएगा।

अध्याय 19

अपराध और शास्तियाँ

- 162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीसी पीडी-01 में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा।
- (2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेंगा।
- (3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीसीपीडी-02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा।

- (4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नमंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा।
- (5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- (6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अविध के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्त्त करेगा।
- (7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा ।
- (8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।
- (vi) "प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10" निम्नलिखित के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात:--

"प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-01, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-02, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-04, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-05, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-06, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-07, प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-10 और प्ररूप जीएसटी-आरएफडी-11"।"

प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01 [नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन - रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

- 11. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
- 12. विधिक नाम :
- 13. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
- 14. पता :
- 15. कर अवधि : <िदन/मास/वर्ष> से <िदन/मास/वर्ष>
- 16. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम:

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ						
राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

- 17. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :
- (क) इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :
- (ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :
- (ग) माल/सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय
- (घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण-
 - (i) आदेश के प्रकार चयन : निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य
 - (ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें ,--

- 1. आदेश संख्या ;
- 2. आदेश की तारीख <कलेंडर>
- 3. आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
- 4. संदाय संदर्भ संख्या (प्रतिदाय के रूप दावे के लिए रकम)

(यदि आदेश सिस्टम के भीतर जारी किया जाता है, तो 2,3,4 स्वतः वासित)

- (ङ) विपर्यस्त कर ढांचा के लिए निवेश कर प्रत्यय संचित (धारा 54(3)) के परन्तुक के खंड (ii)
- (च) विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता या समझे गए निर्यात प्रापक के लिए गए प्रदाय पर—

(प्रदायकर्ता/प्राप्तिकर्ता के प्रकार चयन करें)

- 1. विशेष आर्थिक जोन इकाई के लिए प्रदाय
- 2. विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता को प्रदाय
- 3. माने गएए निर्यात के प्राप्तिकर्ता ।
- (छ) विशेष आर्थिक जोन युनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय पर संचित इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय
- (ज) प्रदाय पर संदत्त कर जिसे उपबंधित नहीं किया गया है, या तो पूर्णतः या भागतः और जिसके लिए बीजक जारी किया गया है ।
- (झ) राज्यांतरिक पर संदत्त कर पर जिसे अन्तराज्यिक और विपर्ययेन धारित किया जाए ।
- (ञ) कर की अधिकता संदाय, यदि कोई हो
- (ट) कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- 8. बैंक लेखा के ब्यौरे (रजिस्ट्रीकृत करदाता के मामले में आरसी से स्वतः वासित)
- (क) बैंक खाता संख्या :
- (ख) बैंक का नाम :
- (ग) बैंक खाता प्रकार :
- (घ) खाता धारक का नाम :
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) :
- (छ) मैगनेटिक इंक करेक्टर रिकागनाइजेशन (एमआईसीआर) :

9. क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्व घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो हां

नहीं

घोषण

मैं तदनुसार घोषणा करता हूं कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के लिए कोई विषय नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूं कि माल या सेवाएं दोनों पर कोई प्रतिदाय प्राप्य नहीं है और कि मैने प्रदाय पर संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेत् दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा

मैं/हम...... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी...... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूं/करते हैं और प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि से तक के लिए कर, ब्याज, यो कोई अन्य रकम के बारे में रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंनें धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)।

10 सत्यापन

मैं/हम(करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान तारीख प्राधिकारी का हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/प्रास्थिति

<u> कथन 1:</u>

<u>(उपाबंध-1)</u>

प्रतिदाय प्रकार : विपरीत क्रम कर संरचना के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के परंतुक के खंड (ii)]

भाग क: जावक प्रदाय

(जीएसटी आर-1: सारणी 4 और 5):

जीएसटीआईए	बीजक के	न ब्यौरे		दर	कराधेय		रव	ਨ ਜ		प्रदाय का
न/यूआईएन	संख्या	तारीख	मूल्य		मूल्य	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य/संघ	उपकर	स्थान
						कर	कर	राज्यक्षेत्र		(राज्य
								कर		का नाम)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

भाग क : आवक प्रदाय :

जीएसटी आर-2: सारणी 3 (मिलाए गए बीजक):

.....कर अवधि

		ाक यौरे					कर व	नि रक	म		क्या इनपुट या इनपुट	31	गलब्ध अ	ाटीसी की र	कम
प्रदाय कर्ता का जीएस टीआई एन	T o	त के ख	ਸ਼੍ਰ ਨਾ	दर	य	एकी कृत कर	केन्द्री		उ पकर	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	सेवा/पूंजी माल (जिसके अंतर्गत प्लांट और मशीने हैं)/आटीसी के लिए अपात्र हैं	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

टिप्पणः डाटा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 से स्वतः भरा जाएगा

<u>कथन 2:</u>

प्रतिदाय का प्रकार:

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 6क और सारणी -9)

1.

	बी	जक	ने के	ब्यौरे		एकीकृ	त कर	बीआरसी/ए सं	-	संशो धित	नामेनो	जमाप त्र	
प्राप्तिक र्ताका जीएसटी आईएन	सं0	ता री ख	म् ल्य	एसए सी	दर	कराधे य कर	रकम	` संख्यां		मूल्य (एकी कृत कर) (यदि कोई	ट एकीकृत कर/सं शोधित (यदि कोई है)	एकीकृ त कर/सं शोधित (यदि कोई	शुद्ध एकीकृ त कर =(11/8)+12- 13
								0	40	(考	40	(考	4.4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क. नि	र्यात	Γ											

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आज्ञापक है-सेवाओं के मामले में)

<u>कथन 3:</u>

परिदाय का प्रकार:

कर के संदाय के बिना निर्यात-संचित आईटीसी (जीएसटीआईआर-1: सारणी 6क)

1.

प्राप्ति कर्ता का			7	बीजक	के ब्यो	रि		t	ाटतन क	ोड	एकी	ोकृत	कर	इउ	IIV T	बी3 सी/ आई रस	'फ आ
जीएस टीआई एन		ता री ख		माल/ सेवा (मा/से)	एचए सएन/ एसए सी	यूक्यूसी	परिमा ण	संख्यां	तारीख	कोड	दर	करा धेय मू ल्य	रक म	संद भ सं0		सं0	ਗ 0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6क.	निर्यात	र्गत															

टिप्पण-1. पोत परिवहन पत्र और ईजीएम आज्ञापक है – माल के मामले में ।

2. बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे आज्ञापक है – सेवाओं के मामले में।

कथन 4:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय

प्रतिदाय का प्रकार:

विशेष आर्थिक जोन/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के कारण या प्राप्तिकर्ता के समझे गए निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी 6ख और सारणी 9)

प्राप्ति कर्ता	बी ;	जक ज्यौरे	क	पोत प पत्र /र्ग प	नेर्यात		ग्कीकृत कर	-	संशोधि त मूल्य	नामेनोट एकीकृत		शुद्ध एकीकृ
का जीएस टीआई एन		तारी ख	म् ल्य	संख्यां	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	(एकीकृ त कर) (यदि कोई है)	कर/संशो धित (यदि कोई है)	धित (यदि	त कर =(10/9)+11- 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6ख.	विशेष	आर्	र्थिक	जोन/	वेशेष उ	आर्थिक उ	ोन विकास	कर्ता को	किया ग	ाया प्रदार	य	_

(जीएसटीआर-1 : सारणी 5 और सारणी 8)

जीएस		जक ब्यौरे			क -		रव	ъम			संशोधित	नामेनोट	जमापत्र	शुद्ध
टीआई एन/यू आईए न		तारी ख	म् ल्य	दर	रा धे य मू ल्य	कत	केन्द्री य कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	उपक	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	मूल्य (एकीकृत			एकीकृत कर =(12/7)+ 13-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

कथन 5 समझे गए निर्यात आदि का प्राप्तिकर्ता

(जीएसटीआर 2: सारणी 3 और सारणी 6)

	बीज	क के ब	यौरे				कर की	ो रकम				उपल	-	गईटीर्स न्म 	ो की 	संशो	= 111	जमाप	
प्राप्ति कर्ता का जीएस टीआईए न		तारी ख	मूल्य	दर	क राधे य हा म्रं य	एकी कृत कर	केन्द्री य कर	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर	3 पकर	(राजय		एकीकृ त कर	केन्द्री	ाराजय	BAAK	धित मूल्य (आई टीसी एकीकृ त कर)	नोट आई टीसी एकी कृत कर/सं	त्र आईटी सी एकीकृ त कर/सं शोधि त	आईटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

<u>कथन 6:</u>

प्रतिदाय का प्रकार : अंतःराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जो तत्पश्चात् अंतरराज्यिक प्रदाय के रूप में धारित है और विपर्ययेन आदेश के ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई है):

जीएसटी आईएन/	₹	ाज्यांर्ता	रेक/अन्त			र्व के रूप ीजक के		ारणीय अ	ाच्छादित	संव्यवहा			ज्यिक/राज्य किए गए थे	ांतरिक प्रदाय
यूआईएन नाम (बी 2		बीजक के ब्यौरे एकीकृ केन्द्रीय रा त कर कर						उपकर	प्रदाय का स्थान	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल
सी के मामले में)		कराधे रकम रकम रकम रकम (केवल यदि . ू प्रास्थिति से								44101	रकम	रकम	रकम	यदि प्रास्थिति से भिन्न)
1	2	2 3 4 5 6					8	9	10	11	12	13	14	15

<u>कथन:7</u> प्रदाय का प्रकार : कर का अधिक संदाय, यदि कोई टर्मिनल विवरणी फाइल करने की दशा में (करदाता की दशा में जिसने जीएसटीआर विवरणी फाइल की है - सारणी 12)

क्रम	कर	विवरणी	विवरणी फाइल		संदेय व	कर	
सं.	अवधि	की संदर्भ	करने की	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य	उपकर
		सं0	तारीख	कर	कर	कर	
1	2	3	4	5	6	7	8

उपाबंध-2

<u>प्रमाणपत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि कर अवधि के लिएमाल और सेवा कर
पहचान संख्या/अस्थायी आईडी, मैसर्स (आवेदक का नाम) द्वारा
(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का
आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रुप से
अनुरुक्षित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार
पर है।
चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :
नाम :
सदस्यता संख्या :
स्थान :
तारीख:
यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड
(ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्रकप जीएसटी आरएफडी - 02 [नियम 90(1), 90(2) और 95(2) देखें] अभिस्वीकृति

प्रतिदाय के लिए आप	प्रतिदाय के लिए आपका आवेदन का<आवेदन संदर्भ संख्या > के विरुद्ध अभिस्वीकृत कर लिया गया है।								
अभिस्वीकृति संख्या									
अभिस्वीकृति की तारीख:									
जी एसटीआईएन/यूअ	ाईएन/अस्थायी आई डी, यदि लागू हो :								
आवेदक का नाम:									
प्ररुप सं. :									
प्ररुप विवरण:									
अधिकारिता (समुचित	ा निशान लगाएं) :								
केन्द्रीय राज्य	ग/ संघ राज्य क्षेत्र :								
द्वारा भरा गया									
	प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा								
कर अवधि									
फाइल करने की									

तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए	
कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम

	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

िटपण 1 : आवेदन की प्रास्थिति जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर ट्रैक आवेदन प्रास्थिति <प्रतिदाय > के माध्यम से आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करने से देखी जा सकती है ।

टिप्पण 2: यह एक प्रणाली उत्पन्न अभिस्वीकृति है और इसमें हस्ताक्षर अपेक्षित नहीं है ।

प्रतिदाय

दावाकृत की रकम

(xi)

दावाकृत रकम का

<u>प्ररूप जीएसटी आरएफडी- -04</u> /नियम 91(2) देखें /

			L L	[मियन ३ 1(४)	'GG/	
मंजूरी	आदेश सं. :				तारीख: <	<दिन /मास /वर्ष >
सेवा मे	Ť					
	(माल और से	वा कर पह	चान संख्या			
	(नाम)					
	(पता)					
			31	ानंतिम प्रतिदार	प्र आदेश	
प्रतिदा	य आवेदन संदर्भ सं. (प	र आर एन)	तारीख	. तारीख: <	दिन /मास /वर्ष >
अभिस	वीकृति सं	तारीख		<दिन /मास /	वर्ष >	
महोदः	य /महोदया,					
	प्रतिदाय के लिए आप	के उपरोक्त	न वर्णित आ	वेदन के संदर्भ	में, निम्नित	वेखित रकम अनंतिम आधार पर आपको
स्वीकृ	त की जाती है :					
क्रम	विवरण	केन्द्रीय	राज्य /	ऐकीकृत कर	उपकर	
सं.		कर	संघ			
			राज्य			
			क्षेत्र कर			

		1	1
	10% प्रतिदाय के		
	रुप में		
	(बाद में स्वीकृत		
	किया जाएगा)		
(xii)	बकाया रकम (i-ii)		
(xiii)	स्वीकृत प्रतिदाय की		
	रकम		
	बैंक विवरण		
(xiv)	आवेदन के अनुसार		
	बैक खाता संख्या		
(xv)	बैंक का नाम		
(xvi)	बैक /शाखा का पता		
xvii)	आई एफ एस सी		
viii)	एम आई सी आर		

तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
CIICIG.	64(11414 (31 441 411).

स्थान: नाम:

पदनाम:

कार्यालय पताः

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05 [नियम 91(3), 92(4), 92(5) और 94 देखें] संदाय परामर्श

•	c	•	0	\sim			
प्तदाय	परामशे	स.	तारीख:	<दिन	/मास	/वर्ष	· >

सेवा में, <केन्द्रीय> पीएओ/खजाना/आरबीआई/बैंक

प्रतिदाय स्वीकृति आदेश सं..

आदेश तारीख.....<दिन /मास /वर्ष >......

जी एस टीआई एन /यू आई एन/ अस्थायी आई डी <>

नाम: <>

प्रतिदाय रकम (आदेश के अनुसार) :

विवरण	एकीकृत कर							केन्द्रीय कर					राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर					
	टी	आ	पी	ए	ओ	कु	टी	आ	पी	ए	ओ	कु	टी	आ	पी	ए	ओ	कु	टी	आ	पी	ए	ओ	कु
		ई		দ		ਕ		ई		फ		ਕ		ई		দ		ਕ		ई		দ		ल
स्वीकृत																								
शुद्ध प्रतिदाय																								
प्रतिदाय																								
की रकम																								
लंबित																								
प्रतिदाय																								
पर ब्याज																								
कुल																								

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

	बैंक के ब्यौरे	
(vi)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या	
(vii)	बैंक का नाम	
(viii)	बैंक/शाखा का नाम और पता	
(ix)	आईएफएससी	
(x)	एमआईसीआर	

तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
स्थान:	नाम:
	पदनाम:
	कार्यालय पताः
सेवा में	
(जीएसटीआईएन	न/यूआईएन/अस्थायी आईडी)
(नाम)	
(पता)	

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-06

[नियम 92 (1), 92(3), 92(4), 92(5) और 96(7) देखें]

आदेश सं.	तारीख: <दिन
/मास /वर्ष >	
सेवा में,	
(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थार्थ	ी आईडी)
(नाम)	
(पता)	
कारण बताओ नोटिस संख्या (यदि लागू हो)	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख:<दिन /मास /वर्ष >
मंजूर किया गया प्रति	तेदाय/अस्वीकृत आदेश
महोदय/महोदया,	
यह अधिनियम की धारा 54 के अधीन प्रतिदाय व	के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में
/*प्रतिदाय पर ब्याज*/	
<<प्रतिदाय मंजूर करने या नमंजू	्र करने के कारण, यदि कोई हो>>
आपके आवेदन का परीक्षण करने पर आपको मंजूर प्रति	नेदाय की रकम बकाया (जहां लागू है) के समायोजन के
पश्चात् की जाएगी, जो निम्नलिखित है :-	
*जहां लागू न हो उसे काट दें	

विवरण	रण एकीकृत कर				केन्द्रीय कर					राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						उपकर								
	टी	आ	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल	टी	आई	पी	एफ	ओ	कुल

	ई											
1.	•											
दावाकृत												1
प्रतिदाय												1
∕ब्याज∗												1
की												1
रकम												1
2.												
अंनितम												1
आधार												1
पर												ı
स्वीकृत												1
प्रतिदाय												1
(आदेश												1
सं0ता												1
रीख)												1
सं0ता												1
रीख)(य												1
दि लागू												1
हो)												1
3.												
अग्राह्य												1
प्रतिदाय												1
रकम												i
<<कार												1
ण नीचे												.
करें>>												
<अनुज्ञा												
त के												
लिए बहु												

कारण>													
4.													
संदत्त													
की जाने													
वाली													
सकल													
रकम													
(1-2-3) 5.													
5.													
विद्यमा न विधि													
या													
अधिनि ्													
यम के													
अधीन													
परादेय													
मांग पर													
समायो													
जित													
रकम													
(यदि													
कोई है)													
मांग													
आदेश													
संख्या													
,													
अधिनि													
यम													
अवधि<													
संभव													
			1]									

बह्												
बहु पंक्ति यां-दी												
यां-दी												
गई												
पंक्ति												
यां												
जोइंं>												
6. शुद्ध												
संदत्त												
रकम												

टिप्पण-कर के लिए "टी", ब्याज के लिए "आई", शास्ति के लिए "पी", फीस से लिए "एफ", अन्य के लिए "ओ"

*जो लागू न हो उसे काट दें ।

[&]1. में, अधिनियम[®] की धारा 56 के अधीन /अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या रखने वाले मैसर्स......को आई एन आर.......की रकम की मंजूरी देता हूं ।

[@] जो लागू न हो उसे काट दें।

- (क) और रकम को उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय किया गया है
- (ख) रकम को उपरोक्त तालिका के क्रम संख्यां 5 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित किया गया है।

(ग)रपए की रकम को उपरोक्त तालि	का के क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट बकाया की वसूली को समायोजित
किया है और शेषरपए की रकम के	ो उसके द्वारा उसके आवेदन में विनिर्दिष्ट बैंक खाता में संदाय कर
दिया गया है।	
#जो लागू न हो उसे काट दें ।	
	या
^{&} 2 मैं, अधिनियम की धारा () की उप	मधारा () के अधीन उपभोक्ता कल्याण निधि को आई एन
आरकी रकम जमा करता हूं ।	
^{&} 3 में, अधिनियम की धारा () की	उपधारा () के अधीन माल और सेवा कर पहचान संख्या
रखने वाले मैसर्सको आई एन	आरकी रकम को निरस्त करता हूं ।
^{&} जो लागू न हो उसे काट दें ।	
में धारा 56 के अधीन आवेदक को प्रतिदाय की	रकम की तारीख तक ब्याज के संदाय का आदेश देता हूं ।
तारीख:	हस्ताक्षर (डी एस सी):
स्थान:	नाम:
	पदनाम:
	कार्यालय पता:

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07

[नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें]

संदर्भ सं.	
तारीख: <दिन /मास /वर्ष >	
सेवा में,	
(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थ	ायी आईडी सं.)
नाम	
(पता)	
अभिस्वीकृति संख्या	तारीख:<दिन /मास /वर्ष >
स्वीकृत प्रतिदार	य के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश
•	0

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

	प्रतिदाय गणना	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य /संघ	उपकर
		कर	कर	राज्यक्षेत्रकर	
(vii)	दावाकृत प्रतिदाय की रकम				

(viii)	अनंतिम आधार पर नेट मंजूर			
(*)	प्रतिदाय			
(ix)	अस्वीकृत अग्राहय प्रतिदाय रकम			
	<<कारण उल्लेख कीजिए >>			
(x)	प्रतिदाय अनुज्ञेय (i-ii-iii)			
(xi)	विद्यमान विधि के अधीन या इस			
(***)	विधि के अधीन बकाया मांग			
	(आदेश संके अनुसार) के			
	विरुद्ध समायोजित प्रतिदाय मांग			
	आदेश सं तारीख			
	<बहु-पंक्तियों में दी जा सकती है>			
(xii)	प्रतिदाय रकम का शेष	शून्य	शून्य	शून्य

मैं, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन विद्यमान विधि के अधीन बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रुप से समायोजित कर ली जाए । इस आवेदन का निपटारा अधिनियम की धारा (......) की उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है ।

भाग- ख प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है । आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखि कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रति	दाय आदेश सं. :				
आटे	श दारी करने की तारीख:				
	प्रतिदाय गणना	एकीकृत	केन्द्रीय	राज्य /संघ	उपकर
		कर	कर	राज्यक्षेत्रकर	
iv.	मंजूर प्रतिदाय की रकम				
V.	रोके गए प्रतिदाय की रकम				
vi.	अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम				

प्रतिदाय रोकने के लिए कारण

<<पাठ <i>>></i>

में, यह आदेश देता हूं कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुज्ञेय प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई। यह आदेश इस अधिनियम की धारा (......) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

तारीख: हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान: नाम:

पदनाम:

कार्यालय पताः

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

9. यूआईएन :		
10.नाम :		
11.पता :		
12.कर अवधि (तिमाही)	:	दिन /मास /वर्ष सेतक
<दिन /मास /वर्ष >		
13.दावा प्रतिदाय की रकम		<आई एन आर ><शब्दों में>
	1	-

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	
उपकर	
कुल	

14. बैंक खाते का ब्यौरा:

- (क) बैंक खाता संख्या
- (ख)बैंक खाते का प्रकार
- (ग) बैंक का नाम
- (घ) खाता धारक / संचालक का नाम
- (ङ) बैंक शाखा का पता
- (च) आई एफ एस सी
- (छ)एम आई सी आर

15. संदर्भ संख्या और दिए गए प्ररुप जीएसटीआर-11 की तारीख

16.सत्यापन

में,>दुतावास /अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणी करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:

तारीख: प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 [नियम 96क देंखें]

माल या सेवाओं के निर्यात के लिए दिया गया बंधपत्र या परिवचन पत्र

1. जीए	सटीआईएन			
2. नाम				
3. दि	ए गए दस्तावे	न का प्रकार		>
उपदर्शित	न करें		बंधपत्र	परिवचन पत्र
4. दिए	गए बंधपत्र का ब	यौरा		
क्रम	बैंक गारंटी की	तारीख	रकम	बैंक का नाम और
सं०	संदर्भ संख्या			शाखा
1	2	3	4	5

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

- 5. घोषणा-
- (i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं
- (ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूं । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।

(iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम पदनाम/प्रास्थिति..... तारीख.....

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए बंधपत्र (नियम 96क देखें)

मैं/हम.			इसमें इस	कि पश्	वात् "ब	ध्यताधारी	रो (बाध्य	यताध	ारियों)'	' कहा	जाप	रगा,
भारत	के	राष्ट्रपति	(जिन्हे	इसमें	इसके	पश्चात्	"राष्ट्रप	गति''	कहा	गया	है)	के
प्रति		रू	o		.की रक	म का र	ाष्ट्रपति	को	संदाय	करने	के '	लिए
वचनब	द्ध 3	गैर दृढ़तापूर	र्व आबद्ध	हूं/हैं ।								

इसका संदाय पूर्णत: और सही रूप में किए जाने के लिए मैं/हम संयुक्त रूप से और पृथकत: स्वयं को/अपने को और अपने हमारे क्रमिक वारिसों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं/तारीख......को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

उपरोक्त आबद्धकर बाध्यताधारी द्वारा को समय-समय पर एकीकृत कर का संदाय किए बिना भारत के बाहर निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के लिए अनुज्ञप्त किया गया है;

और बाध्यताधारी धारा 16 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार माल या सेवाओं का निर्यात करने की वांछा रखता है/रखते हैं ;

और आयुक्त, बाध्यताधारी से राष्ट्रपित के पक्ष में पृष्ठांकित......रूपए रकम की बैंक प्रतिभूति देने की अपेक्षा करता है और जबिक बाध्यताधारी ने आयुक्त के पास ऊपर उल्लिखित बैंक प्रत्याभूति जमा करके ऐसी प्रतिभूति दे दी है।

इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी और उसका प्रतिनिधि, माल या सेवाओं के निर्यात से संबंधित अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी उपबंधों का पालन करें;

और यदि सुसंगत और विनिर्दिष्ट माल या सेवाओं का सम्यक् रूप से निर्यात किया जाता है;

और यदि ऐसे एकीकृत कर और अन्य सभी विधिक प्रभारों के सभी शोध्यों का ब्याज सिहत, यदि कोई हो, सम्यक् रूप से, उक्त अधिकारी द्वारा लिखित में की गई उसकी मांग की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर संदाय कर दिया गया है तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी;

अन्यथा और इस शर्त के किसी भाग के पालन का भंग या असफल होने के आधार पर उसका पूर्ण बल और आधार होगा ;

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, बैंक प्रत्याभूति की रकम से या ऊपर लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों का पृष्ठांकन करके या दोनों से सभी हानि और नुकसानों को पूरा करवाने के लिए सक्षम होंगे।

मैं/हम यह और घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर तारीख : स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता व्यवसाय (2) नाम और पता व्यवसाय

में आज,तारीख.....(मास)(वर्ष) को(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं ।

एकीकृत कर के संदाय के बिना माल या सेवाओं के निर्यात के लिए परिवचनपत्र (नियम 96क देखें)

सेवा में,	
भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें इसके पश	चात् "राष्ट्रपति" कहा गया है), उचित
अधिकारी के माध्यम से कार्य करते हुए	
मैं/हम निवासी	(रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पता),
	ान सं॰ है, इसमें इसके पश्चात्
परिवचनकर्ता कहा जाएगा, संयुक्त रूप	से और पृथक् रूप से स्वयं को/अपने को,
	धिक प्रतिनिधियों/उत्तरवर्तियों सहित राष्ट्रपति
के प्रति,	
(क) नियम 96क के उपनियम (1)	में निर्दिष्ट समय के भीतर एकीकृत कर का
संदाय किए बिना माल और सेवाओं	का निर्यात करने ;
(ख) माल या सेवाओं के निर्यात से	संबंधित माल और सेवा कर अधिनियम और
उसके अधीन बनाए गए नियमों के	सभी उपबंधों का पालन करने ;
(ग) माल या सेवाओं के निर्यात व	करने में असफल होने पर एकीकृत कर का,
बीजक की तारीख से संदाय की त	ारीख तक का ऐसे ब्याज सहित संदाय करने
के लिए, जो संदत्त न किए गए क	र की रकम पर अठारह प्रतिशत वर्षिक रकम
के बराबर होगी,	
आज तारीख को इस विलेख	व द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं/करते हैं ।
	यह परिवचन ऐसी अधिनियमितियों के जिनमें
जनताहितबद्ध है, अनुपालन के लिए उचि	त अधिकारी के आदेश के अधीन दिया जाता
है ।	
इसके साक्ष्य स्वरूप परिवचनकर्ता (परिवच	वनकर्ताओं) द्वारा इसमें इसके पूर्व तारीख को
इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	•
परिवचनकर्ता (परिवचनकर्ताओं) का (के) ह	स्ताक्षर
तारीख :	
स्थान :	
साक्षी	
(1) नाम और पता	व्यवसाय
(2) नाम और पता	व्यवसाय
में आज,तारीख	(वर्ष)(वर्ष) को
(पदनाम) की उपस्थिति में	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर
से इसे स्वीकार करता हूं ।	
•	

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 01 निरीक्षण और तलाशी के लिए प्राधिकरण

(नियम 139(1) देखें)

सेवा	में,
(अधि	ोकारी का नाम और पदनाम)
	चूंकि, मेरे समक्ष सूचना प्रस्तुत की गई है और मुझे विश्वास करने का कारण है
कि	······································
आ.	मैसर्स
•	माल और /या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
•	हस्तगत माल के स्टाक से संबंधित संव्यवहारों को छिपाया गया है
•	अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त निवेश कर प्रत्यय का दावा
	किया है
•	अधिनियम के अधीन अपने हकदारी के अतिरिक्त प्रतिदाय का दावा किया है
•	इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन, उसके अधीन बनाये गए अधिनियम
	और नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में अनुग्रह किया है ;

या

आ. मैसर्स.....

- माल के संदाय से बच निकलने के लिए माल परिवहन के कारबार में वचनबद्ध किया है
- कर के संदाय से बचने के लिए भांडागार या गोदाम या स्थान के स्वामी या प्रचालक द्वारा जहां माल का भंडार किया गया है
- इस अधिनियम के अधीन संदेय कर का अपवंचन करने के लिए उस रीति में लेखा या माल को रखा गया है

या

ड

• अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है।

<<परिसरों का ब्यौरे>>

इसलिए.-

• मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें।

या

• मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाइने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की दारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा।

दिनमास	20वर्ष	मे	मेरा	हस्ताक्षर	और
मुद्रा।दिनों के लिए वैध	ГІ				

मुद्रा

स्थान

जारी करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

- (i)
- (ii)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - **02 अभिग्रहण का आदेश**(नियम 139(2) देखें)

जबिक मेरे द्वारा, धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण/उपधारा (2) के
अधीन तलाशी, तारीख //पूर्वान्ह/अपरान्ह
को निम्नलिखित परिसर/परिसरों में संचालित किया गया
<<परिसरों का ब्यौरे>>
जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं
<<ट्यक्ति का नाम>>

<< जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो >>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

- 1. << नाम और पता>>
- 2. << नाम और पता>>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल और/या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसलिए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित माल/पुस्तक/दस्तावेज और वस्तुओं को एतत् द्वारा अभिग्रहित करता हूं :

अ) अभिग्रहीत माल के ब्यौरे :

क्र.सं.	माल का वर्णन	मात्रा या ईकाई	मेक/चिन्ह या	टिप्पणियां
			मॉडल	
1	2	3	4	5

आ) अभिग्रहीत की गई पुस्तकं/दस्तावेजों/वस्तुओं के ब्यौरे:

क्र. सं.	अभिग्रहीत की गई	अभिग्रहीत की गई	टिप्पणी
	पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं	पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं	
	का वर्णन	की संख्या	
1	2	3	4

Jharkhand Gazette (Extraordinary), Thursday 13 July, 2017

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए है ;

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमित के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा ।

स्थान:	अधिकारी	का	नाम	और	पदनाम

दिनांक:

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-03 प्रतिषेध का आदेश

(नियम 139(4) देखें)

जबकि मेरे द्वारा धारा 67	' की उप-धारा	ा (1) के अधीन	निरीक्षण/उप-धारा (2) के
अधीन तलाशी, तारीख	/	/:	पूर्वान्ह/अपरान्ह
को निम्नलिखित परिसर/परिसरों	में संचालित	किया गया :	

<<परिसरों के ब्यौरे>>

जिसका स्थान/कारबार का स्थान/परिसर है/हैं :

- 1. <<व्यक्ति का नाम>>
- 2. <<जीएसटीआईएन, यदि रजिस्ट्रीकृत हो>>

निम्नलिखित साक्षी/साक्षियों की उपस्थिति में :

- 3. <<नाम और पता>>
- 4. <<नाम और पता >>

और निरीक्षण/तलाशी के दौरान पाये गये लेखाबही, रजिस्टर, दस्तावेज/कागज और माल की संवीक्षा करना, मुझे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं के लिए या से सुसंगत जब्ती योग्य माल/और या दस्तावेज और/या पुस्तकें और/या उपयोगी वस्तुएं उपर्युक्त वर्णित स्थान (स्थानों) में गुप्त रखे गये हैं।

इसिलए मैं धारा 67 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतत् द्वारा आदेश करता हूं कि आप समनुदेशिती की पूर्व अनुमित के बिना माल, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेंगे/करायेंगे :

क्र. सं.	माल का विवरण	मात्रा और ईकाई	मेक/चिन्ह और	टिप्पणियां
			मॉडल	
1	2	3	4	5

स्थान:	अधिकारी का नाम और
	पदनाम

तारीख:

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

प्ररूप जीएसटी आईएनएस - 04 (नियम 140(1) देखें)

अभिगृहीत माल के निर्मुक्त के लिए बंधपत्र

मैं के तत्पश्चात् "बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति
(जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है) और/ (राज्यपाल) (इसमें आगे
"राज्यपाल" कहा गया है) के लिए धारित और दृढ़ आबद्ध हूं, रुपए
की राशि राष्ट्रपति/राज्यपाल हेत संदत्त के लिए जिसे संदाय किया जाएगा । मैं
संयुक्त रूप से और पृथकतः रूप से स्वयं आबद्ध हूं और मेरे वारिस/निष्पादकों/विधिक
प्रतिनिधित्व और इन वर्तमान द्वारा समनुदेशित किया गया है ।
यतः धारा 67 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार, आदेश सं॰ तारीख
द्वारा अभिगृहीत किया गया है, रुपए के कर की रकम
अन्तर्वलित करते हुए मूल्य के रुपए में है । अनुरोध पर माल मूल्य
के बंधपत्र और प्रति रुपए की प्रतिभूति बंधपत्र के निष्पादन पर समुचित
अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्मुक्त किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई है जिसे
नकदी/बैंक गारंटी, राष्ट्रपति/राज्यपाल के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है ।
यतः मैं स्वयं के लिए अनंतिम रूप से निर्मुक्त उक्त माल उत्पन्न करने के लिए
परिवचन पत्र करता हूं और जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत सम्यक् सम्चित
अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो ।
और यदि सम्चित प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्ण प्रभारित मांग द्वारा सभी करें, ब्याज,
शास्ति, जुर्माना उक्त समुचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा, यह
बाध्यता शून्य होगी ;
अन्यथा, इस दशा में किसी भाग के निष्पादन में भंग या असफल होने पर पूर्णतः बल
होगा ।
और राष्ट्रपति/राज्यपाल, इसके विकल्प में सभी हानियां और उपर्युक्त लिखित बंधपत्र
या दोनों के अधीन इसके पृष्ठांकन द्वारा या प्रतिभूति निक्षेप की रकम से नुकसानी
ठीक करने के लिए सक्ष म होगा ।
बाध्यताधारी (यों) द्वारा लिखित के समक्ष के समय हस्ताक्षरित किए गए हैं ।
तारीख : बाध्यताधारी (यों) के
हस्ताक्षर (रों)
स्थान :

साक्षी	· :-
(1) नाम और पता :
(2	?) नाम और पता :
ता	रीख :
₹	थान :
प्रा	ाज तारीख (मास)वर्षको (समुचित धिकारी का पदनाम) राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार रता हूं ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी आईएनएस-05

विकारी या संकटमय के माल/वस्तुएं के निर्मुक्त का आदेश

(नियम 141(1) देखें)

निम्नलिखित	परिसर	(परिसरों)	से	 को	निम्नलिखित	माल	और/या	चीजें
अभिग्रहीत वि	ज्ए गए १	थे :						

«परिसर के ब्यौरे»

जो स्थान/कारबार के स्थान/ संबंधित परिसरों के लिए :

«व्यक्ति का नाम »

«जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत»

अभिग्रहीत माल के ब्यौरे

क्रम	माल का	मात्रा या	मेक/चिन्ह या	टिप्पणियां
संख्या	वर्णन	यूनिटें	टिप्पण	
1	2	3	4	5

और चूंकि ये माल, विकारी या परिसंकटमय प्रकृति के हैं और चूंकि रकम रुपए (शब्दों और अंकीय में रकम) रकम समतुल्य होते हुए के लिए -

- ऐसे माल या चीजों की बाजार कीमत
- कर, ब्याज और शास्ति की रकम जोिक या संदेय हो जाता है, संदत्त किया गया
 है । मैं तदनुसार उपरोक्त उल्लिखित माल अविल निर्मुक्त किया जाए ।

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

सेवा में,

«नाम और पदनाम»

[नियम	142(1)	देखें]
संदर्भ	सं॰	
ਗ਼ਹੀ	<u>ਹਰ</u>	

सेवा में	
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
पता	
वित्तीय वर्ष अ	धिनियम
धारा/उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है	
एससीएन संदर्भ सं॰	
तारीख	

कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण

- (क) मामले को संक्षिप्त तथ्य
- (ख) आधार
- (ग) कर और अन्य शोध्य

(रुपए में रकम)

क्रम	कर	अधिनियम	प्रदाय का	कर/उपकर	अन्य	योग
सं०	अवधि		स्थान (राज्य			
			का नाम)			
1	2	3	4	5	6	7
योग						

(ग) कर और अन्य शोध्य

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 02

(नियम 142(1) देखें)

संदर्भ	संख्या ता	रीख
	जीएसटीआईएन/आईडी	
	नाम	
	पता	
	एससीएन	तारीख
	कथन/संदर्भ सं॰	तारीख
	धारा/उपधारा जिसके अधीन कथन जारी किया जा र	हा है ।
	कथन का संक्षिप्त में	
	कथन संक्षेप में	
	(क) मामले का संक्षिप्त तथ्य	
	(ख) आधार	

(रुपए में रकम)

क्रम सं॰	कर	अधिनियम	प्रदाय	कर/उपकर	अन्य	योग
	अवधि		का			
			स्थान			
			स्थान (राज्य का नाम)			
			का नाम)			
1	2	3	4	5	6	7
योग						

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कराण बताओं नोटिस (एससीएन) के प्रति या कथन

1.	जीएस	टीआईएन									
2.	नाम										
3.	संदाय	के हेतुक				<<	<< नीचे करे>>				
		J				लेख	लेखा परीक्षा, अन्वेंषण,				
						स्वैि	स्वैच्छिक/एससीएन, अन्य (विनिर्दिष्ट				
						करें)	करें)				
4.	वह धा	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया						₹>>			
	गया है	}									
5.	कारण	बताओ नोवि	टेस के ब्ल	यौरे. यदि ड	सके जार्र	ो संद	र्भ संख्या	Γ	;	जारी की	
		दिन के भी					·			तारीख	
6.	वित्ती		<u> </u>								
7.	ब्याज	और शास्ति	सहित वि	केए गए संद	द्राय के ब	्यौरे					
			•								
									(रकम	र रुपए में)	
क्रम	कर	अधिनिय	प्रदाय	कर/उपक	ब्याज	शास्ति,	योग	उपयो	विकल	विकलन	
सं0	अव	म	का	र		यदि		ग	न	प्रविष्टि	
	धि		स्थान			प्रयोज्य		किए	प्रवि	की	
			(पीओ					गए	ष्टि	तारीख	
			एस)					खाते	सं0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				-							
	1	I .	1	1	1	I	1	1	1		

8. कारण, यदि कोई हो -

<<पाठ खाना>>

9. सत्यापन -

में तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नही गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व	न हस्ताक्षर
नाम	
पदनाम/प्रास्थिति	
नाग्रीख	

[नियम 142(2) देखें]

संदर्भ सं.:				•	तारीख:
सेवा में,					
	जीएसटीआईएन/आई	इंडी			
	नाम				
	पता				
कर अवधि			वित्तीय	वर्ष	
एआरएन -		तारीख	. <u>_</u>		

स्वेच्छाया किए गए संदाय की स्वीकृति की अभिस्वीकृति

उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन द्वारा आपके द्वारा किए गए संदाय की, संदत्त की गई रकम के विस्तार तक और उसमें कथित कारणों के लिए अभिस्वीकृति की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

[नियम 142(3) देखें]

सदभ स.:			तारीख:
सेवा में,			
	_ जीएसटीआईएन/आई	इंडी	
	नाम		
	_ ਧਗ		
कर अवधि		वित्तीय वर्ष	
एससीएन		तारीख -	
एआरएन -		तारीख -	

कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है । जैसा कि आपने......धारा के उपबंधों के अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

> हस्ताक्षर नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 06 [नियम 142(4) देखें]

कारण बताओ सूचना का प्रतिउत्तर

2. नाम							
3. कारण बताओ सूचना के संदर्भ सं. जारी करने की तारीख ब्यौरे							
4. वित्तीय वर्ष							
5. प्रतिउत्तर							
<< टेक्स्ट बॉक्स>>							
6. अपलोड किया गया दस्तावेज							
<<दस्तावेजों की सूची >>							
7. वैयक्तिक सुनवाई के लिए							
विकल्प 🗆 हां 🗆 नहीं							

8. सत्यापन -

में सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम	
पदनाम/प्रास्थिति	
तारीख -	

[नियम 142(5) देखें]

आदेश का सार

- 1. आदेश के ब्यौरे -
 - (क) आदेश सं.
- (ख) आदेश की तारीख (ग) कर अवधि -

2. अन्तवर्लित विवाद्यक-<<नीचे देखें>>

वर्गीकरण, मूल्यांकन, कर की दर, व्यापारावर्त का अधिक्रमण, आईटीसी दावे का आधिक्य, मुक्त किए गए प्रतिदाय का आधिक्य, पूर्ति का स्थान, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

मालों/सेवाओं का विवरण --

क्र. सं.	एचएसएन	विवरण

4. मांग के ब्यौरे

(रकम रुपयों में)

क्र.	कर की	व्यापाराव	पूर्ति का	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति
सं.	दर	र्त	स्थान				
1	2	3	4	5	6	7	8

5. जमा की गई रकम

	0 0	c	_		_		
क्र.	कर की अवधि	कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
स.							· ·
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 08 [नियम 142(7) देखें]

संदर्भ सं.: तारीख:

आदेश का परिशोधन

उद्देशिका - << मानक >> (केवल आदेश के लिए लागू)

मूल आदेश की विशिष्टियां	
कर की अवधि, यदि कोई हो	
धारा, जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है	
आदेश सं.	जारी करने की तारीख
उपबंध निर्धारण आदेश सं., यदि कोई हो	आदेश की तारीख
एआरएन, यदि परिशोधन के लिए लागू हो	एआरएन की तारीख

............उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश के परिशोधन के लिए आपका आवेदन संतोषप्रद पाया गया है;

.....यह मेरे ज्ञान में आया है कि उपरोक्त आदेश के परिशोधन की आवश्यकता है;

परिशोधन का कारण -

<< पाठ बाक्स >>

मांग के ब्यौरे, परिशोधन के पश्चात्, यदि कोई हो

(रकम रुपयों में.)

क्र.स.	कर	व्यापार	प्रदाय	का	कार्य	कर/उपक	ब्याज	शास्ति
	की	आवर्त	स्थान			र		
	दर							
1	2	3	4		5	6	7	8

उपरोक्त आदेश, धारा 161 के अधीन निर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोग में नीचे यथा उल्लिखित परिशोधित किया जाता है:

1)
ì

प्रति -

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 09 [नियम 143 देखें]

सेवा में,	
व्यतिक्रमी के ब्यौरे -	
जीएसटीआईएन -	
नाम -	
मांग आदेश सं.:	तारीख:
वसूली की संदर्भ सं:	
अवधि:	तारीख:

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वस्ली के लिए आदेश

जहां कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के लेखे <<----->> रुपये की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है। बकाया के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(रकम रुपयों में)

कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
एकीकृत कर केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ					
राज्यक्षेत्र					
कर					
उपकर					
कुल					

<< टिप्पणियां>>

आपसे, <<एसजीएसटी>> एसीटीटीओ की धारा 79 के उपबंधों के अधीन उपरोक्त लिखित << व्यक्ति >> से बकाया रकम वसूल करना अपेक्षित है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 10 (नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन माल के नीलामी की सूचना

मांग आदेश संख्याः	तारीखः
अवधिः	

मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी...... पर प्रातः/सांय को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय संम्पूर्ण रकम के संदत्त हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा ।

प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

हस्ताक्षर	
नाम	

पद नाम

स्थानः तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 11 (नियम 144(5) और 147(12) देखें) सफलतापूर्वक बोली लगाने वाले के लिए सूचना

स्पा म,	
	
कृपया लोक नीलामी निर्देश संख्या तारीख	. का निर्देश लें ।
को आयोजित नीलामी के आधार पर, तत्काल मामले में	⁻ आप सफलतापूर्वक
बोली लगाने वाले पाए गए है।	
आपसे एतद द्वारा नीलामी के तारीख से 15 दिन अवधि के भीतर	रुपए का
संदाय करने की अपेक्षा की जाती है।	
आपको माल का कब्जा बोली की रकम के पूर्णरुप से संदाय करने	ने के पश्चात आपको
अंतरित किया जाएगा।	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पद नाम

स्थानः

तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 12 (नियम 144(5) और 147(12) देखें)

विक्रय प्रमाण पत्र

•		•
माग	आदेश	सख्याः

वसूली की संदर्भ संख्याः

तारीखः

अवधिः

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित मालः

अनुसूची (जंगम माल)

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

अनुसूची (स्थावर माल)

				2 ~	•		•		
भवन	फ्लोर	स्थान/	सड़क/ग	अवस्था	जि	राज्य	पिनको	अक्षा	देशां
सं./फ्लै	सं.	भवन	ली	न/	ला		ਤ	न्तर	न्तर
ट सं.		का		ग्राम				(विक	(विक
		नाम						ल्प)	ल्प)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा	कीमत
1	2	3	4

<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम की धारा
79 (1) (ख) (घ) के उपबंधों औरउसके अधीन बनाए गए नियमों के
अनुसरण में रुपए की वसूली के लिए माल की लोक नीलामी में
पर के लिए विक्रय किया गया है और उक्त
(क्रेता) ने विक्रय के समय उक्त माल के क्रेता होने के घोषणा कर दी है। उक्त माल
की विक्रय कीमत को प्राप्त हुई थी । विक्रय को सुनिश्चित किया गया
था।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थानः

तारीखः

गेवा में

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 13 (नियम 145(1) देखें)

धारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

रापा म,	
व्यतिक्रमी की विशिष्टियां	
जीएसटीआईएन	
नाम	
मांग आदेश संख्याः	तारीखः
वसूली की संदर्भ संख्याः	तारीख :
अवधि :	
कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की	ो रकम पर <<>> रुपए की रकम
<जीएसटीआईएन >> धारण करने वाले	<<कराधेय व्यक्ति का नाम>> जो ऐसी रकम
का संदाय करने में	विफल हो गया है, के
द्वारा<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएस	ाटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के
उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है; और/य	π
यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व	व्यक्ति के लिएरुपए की रकम देय है या
देय हो सकती है; या	
यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए	या उस पररुपए की रकम आपके पास है
या आपके पास होने की संभावना है।	
आपको अधिनियम की धारा 79 की उपध	पारा(1) के खंड (ग) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के
अनुपालन में देय के होने या हो सव	कने वाले धन पर यासरकार के लिए
रपए की रकम का संदाय करने वे	न लिए निदेश दिया जाता है ।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुपालन में आपके द्वारा कोई संदाय उक्त कराधेय व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन किए जाने के प्रति उक्त अधिनियम की धारा 79 के अधीन समझा जाएगा और प्ररुप जीएसटी डीआरसी-14 में सरकार से प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के लिए ऐसे व्यक्ति के प्रति उत्तम और पर्याप्त रुप से निर्वहन किया जाएगा।

कृपया यह भी नोट करे कि यदि इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए किसी दायित्व का आपने निर्वहन किया है, आप कर, उपकर ब्याज और शास्ति जो भी कम हो, के लिए कराधेय व्यक्ति के दायित्व के विस्तार के लिए या निर्वहन किए जाने वाले दायित्व के विस्तार के लिए अधिनियम की धारा 79 के अधीन राज्य/केन्द्रीय सरकार के लिए व्यक्ति रुप से दायी होंगे।

कृपया नोट करे कि इस सूचना के अनुसरण में संदाय करने में आप विफल होते है, आपको इस सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के परिणामस्वरुप पालन किया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थानः

तारीखः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 14 (नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र

प्ररुप जीएसटी डीआरसी-13 में आपको जारी सूचना के प्रतिउ	न्तर में बोली लगाने वाली
निर्देश संख्या तारीख को आपको नीचे दिए गए व	व्यतिक्रमी के नाम के लिए
रपए का संदाय करने के लिए आपको दायित्व का नि	र्विहन करनाः
जीएसटीआईएन	
नाम	
मांग आदेश संख्याः	तारीखः
वसूली की संर्दभ संख्याः	तारीख :
अवधि	
यह प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट	रकम के विस्तार के प्रति
ऊपर उल्लिखित व्यतिक्रमी हेतु पर्याप्त रुप निर्वहन किया जा	एगा।
	हस्ताक्षर
	नाम
	पद नाम
स्थानः	
तारीखः	

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 15 (नियम 146 देखें)

डिक्री के लिए निष्पादन का अनुरोध करने के लिए सिविल न्यायालय के समक्ष आवेदन

सेवा में,		
नयायालय का मजिस्ट्रेट/न्या	याधीश	
Titr 211 er titre		3
मांग आदेश संख्याः	तारीखः	अवधि
महोदय/महोदया,		
आपको यह सूचित किया जाता	है कि 20	की वाद संख्या मे <u>ं</u>
(व्यतिक्रमी का नाम)	के द्वारा 20	की तारीख को आपके
न्यायालय में अभिप्राप्त डिक्री के	अनुसार उक्त व्यक्ति	न के प्रतिरपए का
संदेय किया जाना है । तथापि, उन	ग् रत व्यक्ति आदेश संख	यातारीख
द्वारा <<एसजीएसटी/ यूटीजीए	सटी/ सीजीएसटी/	आईजीएसटी/ सीईएसएस>>
अधिनियम के उपबंधों के अधीन	रपए की रकम क	ा संदाय करने के लिए दायी
き 1		
आपसे डिक्री का निष्पादन करने 3	और ऊपर यथाउल्लिखि	त बकाया वसूल योग्य रकम
का निपटान करने के लिए शुद्ध आव	गम प्रत्यय के लिए अन्	रोध किया जाता है।
5		
स्थानः		
तारीखः		

समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी

सेवा में

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 16

{नियम 147(1) और 151(1) देखें}

जीएसटीआईएन	
नाम	
ਧਗ	
मांग आदेश सं॰	तारीख:
वसूली की संदर्भ सं॰	तारीख:
अवधि :	
धारा 79 के अधीन स्थावर/जंगम म	लों/शेयरों की कुर्की और विक्रय हेतु सूचना ।
<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएस	नटी/उपकर>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन आपके
द्वारा संदेय कर/उपकर/ब्याज/शास्ति/फीस के बन	गयार॰ की रकम का संदाय करने में आप
असफल रहे है ।	

इसलिए नीचे दी गई सारणी में उल्लेखित स्थावर मालों को कुर्क किया जाता है और उक्त रकम की वसूली के लिये विक्रय किया जायेगा । अतः आपको किसी भी प्रकार से उक्त माल का अन्तरण करने या उस पर प्रभास सृजित करने से प्रतिषेध किया जाता है और आपके द्वारा किया गया कोई अन्तरण या सृजित प्रभार अवैध होगा ।

अनूसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनुसूची (स्थावर)

				7 7					
भवन	तल सं.	परिसर/भवन	सड़क/	परिक्षेत्र/	जिला	राज्य	दिन	अक्षांश	देशांतर
सं./फ्लैट सं.		का नाम	मार्ग	ग्राम			कोड	(वैकल्पिक)	(वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनूसूची (शेयर)

	" "	
क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17 {नियम 147(4) देखें}

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पति की नीलामी हेतू सूचना ।

मांग आदेश सं॰.	तारीख :
वसूली की संदर्भ सं॰	तारीख :

अवधि :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में ------रू॰ और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में उपगत ग्राह्य व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये गये मालों की विक्रय हेत् मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है।

विक्रय सार्वजिनक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जायेगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, अभिनाम और हितों का होगा और उक्त संपित्त से उपाबद्ध दायित्च और दावें, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होगें जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मुल्तवी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी----- पूर्वाहन/अपराहन (बजे)----- (तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया सपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा में, नीलामी रद्द कर दी जायेगी ।

प्रत्येक लाट की कीमत समूचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार विक्रय के समय संदत्त की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा ।

अनूसूची (जंगम)

	44	
क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

अनूसूची (स्थावर)

				44					
भवन	तल सं.	परिसर/भवन	सड़क/	परिक्षेत्र/	जिला	राज्य	दिन	अक्षांश	देशांतर
सं./फ्लैट सं.		का नाम	मार्ग	ग्राम			कोड	(वैकल्पिक)	(वैकल्पिक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	परिमाण
1	2	3

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थानः

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 18 {नियम 155 देखें}

सेवा में	
जिला कलक्टर का नाम और पता	
मांग आदेश सं॰.	तारीख :
वस्ली की संदर्भ सं॰	तारीख :
अवधि :	
धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के	अधीन नीलामी प्रमाण पत्र ।
मैंप्रमाणित करता	हूँ कि अधिनियम
<<एसजीएलटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी	ो/उपकर>> के अधीन
जीएसटीआईएनसोरत मैसर्ससो.	र० की ऐसी राशि की
मांग की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, ले	ोकिन संदत्त नहीं की गई है और
अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से उक्त व्य	तिक्रमी से वसूल नहीं की जा सकती
है ।	•
<< मांग विवरण	>>
उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारि	ता में संपत्ति का स्वामित्व रखता
है/निवास करता है/ कारबार करता है, जिसकी विधि	
<<वर्णन >>	
आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी से	रूपये की राशि को दम प्रकार से
वसूल करने जैसे कि यह भूमि राजस्व का कोई ब	
पस्त परण जस वि पह जान राजस्य या याइ ब	गाया हा या सिर साम्र यद्या उठाव ।
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
स्थानः	
तारीखः	

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 19 [नियम 156 देखें]

सेवा	में,
मजिर	-ट्रेट

<<न्यायालय का नाम और पता >>

मांग आदेश सं॰. तारीख : वसूली की संदर्भ सं॰ तारीख :

अवधि :

जुर्मानें के रूप में वसूली के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन ।

......रु॰ की कोई राशि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर ब्याज और शास्ति के कारण <<जीएसटीआईएन>> धारित <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> से वसूली योग्य है । आपसे निवेदन है कि कृपया अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसरण में इस रकम को इस प्रकार से वसूल करें जैसे कि यह किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई जुर्माना हो ।

रकम का विवरण				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम

स्थानः तारीखः

{नियम 158(1) देखें}

आस्थगित संदाय/िकश्तों में संदाय के लिए आवेदन

4. कराधेय व्यक्ति	न का नाम				
5. जीएसटीआईएन	T				
6. अवधि					
अधिनियम की धा	रा 80 के अनसर	ण में मैं आपसे नि	नेवेटन करता है	ूँ कि मुझे कर/अन्य बव	हायों के
	•		•	मुझें ऐसे कर/अन्य बक	
		.किश्तों में संदाय क	_	_	
मांग आईडी					
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
कर/उपकर					
ब्याज					
शास्ति					
फीस					
अन्य					
योग					
कारण : -				अपलोड किये	
				गये दस्तावेज	
		सत्यापन			
	**	**		स्चना मेरी जानका अपाया नहीं गया है ।	
प्रधिकृत हस्ताक्ष	री के हस्ताक्षर				
र नाम	- 				

[नियम 158(2) देखे]

संदर्भ सं॰ <<>>	<< तारीख >>
सेवा में,	
जीएसटीआईएन	
नाम	
ਧਗ	
मांग आदेश सं॰	तारीख:
वसूली का संदर्भ संख्या :	तारीख:
अवधि -	
आवेदन संदर्भ सं॰ (एआरएन) -	तारीख:

आस्थिति संदाय/किस्तों में संदाय के लिए आवेदन के स्वीकार/अस्वीकार के लिए आदेश

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है आस्थिति संदाय/कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इस संबंध में, आपको तारीख.......द्वारा कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है या इस संबंध में आपको.......रुपए.......मासिक किस्तों में कर और अन्य देय संदाय करने की अनुज्ञा दी जाती है।

या

यह, अधिनियम की धारा 80 के अधीन फाइल किए गए आपके उपरोक्त निर्दिष्ट आवेदन के संदर्भ में है । आस्थिति संदाय/ कर के संदाय/ किस्तों में अन्य देय के लिए आपके आवेदन का परीक्षण कर लिया गया है और इसको निम्नलिखित कारणों के लिए आपके अनुरोध को मान लेना बिलकूल भी संभव नहीं है ;

अस्वीकार के लिए कारण		

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

संदर्भ सं०:

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22

[नियम 159(1) देखें]

तारीख:

सेवा में,
नाम
(बैंक/ डाक खाना/वित्तीय संस्थान/अचल संपति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)
धारा 83 के अधीन संपति की अंनतिम कुर्की
आपको यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स (नाम) कारबार का
मूल स्थान (पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में
(जीएसटीआईएन/आई), पी.ए.एन <<एसजीएसटी/सीजीएसटी>> अधिनियम के
अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है । उक्त व्यक्ति से कर या कोई अन्य रकम
का अवधारण उक्त अधिनियम की धारा <<>> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय व्यक्ति
के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई है । विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के
अनुसार, मेरी नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/ चालू / एफ डी/ आर डी / निक्षेप >>खाता आपके<< बैंक/डाक खात/ वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या << खाता सं०>>;

या

< संपित आई डी और अवस्थान>> पर संपित स्थिति है ।
राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन
प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, मैं ------ (नाम), ------ (पदनाम),
पूर्वोक्त खाता/ संपित की अंनितम कुर्की करता हूं ।
कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पेन पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा
संचालित उक्त खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा ।

या

उपरोक्त उल्लिखित संपति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपरान करने को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :-

[नियम 159(3), 159(5) और 159(6) देखे]

संदर्भ संख्या :	तारीख
सेवा में,	
नाम	
ਧਗ	
(बैंक/ डाक खाता/वित्तीय संस्थान/अचल	संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)
आदेश संदर्भ संख्या :	तारीख -

धारा 83 के अधीन अनंतिम रूप से कुर्क संपति तारीख बैंक खाता का प्रत्यावर्तन कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियोंमें राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क <<बचत/चालू/एफ डी/आर डी>> खाता संख्या आपके << बैंक /डाक खाना/वित्तीय संस्थान>> में खाता संख्या<<---->>, की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यक्तिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध लंबित नहीं है जिसका उक्त खाता की कुर्की का वारंट था । अत: इसलिए, उक्त खाता अब संबंद्ध व्यक्ति का प्रत्यावर्तन किया जा सकता है ।

या

कृपया, व्यक्ति के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाहियों में राजस्व के हित की सुरक्षा के संबंध में उपरोक्त निर्दिष्ट आदेश द्वारा कुर्क << आई डी/अवस्थान>> संपति की कुर्की का संदर्भ ले । अब, ऐसी कोई कार्यवाहियां व्यतिक्रम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है जिसका अक्त संपति की कुर्की का वारंट था । अत: इसलिए उक्त संपति अब संबद्ध व्यक्ति का प्रव्यवितन किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर नाम पदनाम

प्रति : --

[नियम 160 देखे]

सेवा में,		
समापक/प्रापक,		
कराधेय व्यक्ति का नाम		
जीएसटीआईएन:		
मांग आदेश संख्या:	तारीख:	अवधि:

रकम की वस्ली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपके पत्र <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कम्पनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन >> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है । इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि देनदार/संभावनीय देनदार है;

चालू / प्रत्याशित मांग

(रुपयों में राशि)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देना	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्रयात्प उपबंध बनाए ।

ਜ	IН
---	----

पदनाम

स्थान: तारीख:

[नियम 161 देखे]

संदर्भ सं॰ << >	>				<< तारीख >>	•
सेवा में,						
जीएसटीआईएन						
नाम						
पता						
मांग आदेश सं०:					तारीख:	
वसूली का संदर्भ संख्या	:				तारीख:	
अवधि:						
अपील या पुनरीक्षण या	कोई अन्य	कार्यवाही में	संदर्भ संख्या	Г	तारीख:	
		वस्ली कार्यः	वाहियों का च	ालू रहना		
रपए के वसूली कार्यवाहियों व				गे संदर्भ संख्या	द्वारा आपके र्व	वेरुद्ध
अपील /पुनरीक्षण	•			<< प्राधि	वेकरण का ना	म /
न्यायालय>>आदेश						
सं॰ तारीख			-			
अब देयरपा	_					
खड़ी उन वसूली का			•			
की राशि निरन्तर						
पुनरीक्षित रकम नीच	_		3		`	
э वित्तीय वर्ष						
(रकम रुपए में)						
अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देय	कुल बकाया	
1	2	3	4	5	6	
केन्द्रीय कर			-			
राज्य/यूटी कर						
एकीकृत कर						

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

उपकर

तारीख:

प्ररूप जीएसटी सीपीडी - 01 *[नियम 162(1) देखे]* शमनीय अपराध के लिए आवेदन

11.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	
12.	आवेदक का नाम	
13.	पता	
14.	अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन जिसके लिए	
	अभियोग संस्थित या अन्ध्यात किया जाता है ।	
15.	न्यायनिर्णय आदेश/नोटिस का ब्यौरा	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	
	कर	
	ब्याज	
	शास्ति	
	जुर्माना, यदि कोई हो	
16.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध	
	(अपराधों की विशिष्टियां)	
17.	क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध हैं	
18.	यदि सं॰७ का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामले	
	का ब्यौरा	
19.	क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई	
	कार्यवाहियां किसी अन्य विधि के अधीन अन्ध्यात है	
	1	
20.	यदि सं॰ 9 का उत्तर सकारात्मक है तो उसका ब्यौरा	

घोषणा

- (3) मैं, आयुक्त द्वारा यथानियत प्रशमन रकम संदाय करुगा ।
- (4) मैं, समझता हूं कि मैं अधिकार की दृष्टि से दावा नहीं करूगा अधिनियम के अधीन मेरे द्वारा कारित उस अपराध का शमन किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02

(नियम 162(3) देखें-)

सदभ स॰:	तारीख:
सेवा में,	
जीएसटीआईएन/आईडी	
नाम	
ਧਨਾ	
एआरएन	तारीख -

शमनीय अपराध के अस्वीकार / मोक के लिए आदेश

यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है । आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया गया है और निष्कर्ष नीचे अभिलेख किया गया है :--

<<पाठ >>

मैं, सन्तुष्ट हूं कि आप स्तभ (3) में दार्यित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 में कथित अपराधों के संबंध में शमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हो ।

क्रम सं॰	अपराध	प्रशमन रकम (रुपए)
(1)	(2)	(3)

टिप्पण: यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपधारा स्तभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग में आता है तो शमनीय रकम स्तभ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम है, जिनमें शमन किए जाने के लिए ईप्सीत अपराधों को वर्गीकृत किया जा सकता है।

आपको निर्देशित किया जाता है तारीख ------ द्वारा पूर्वोक्त शमनीय रकम संदाय कर दे और शमनीय रकम के संदाय पर, आप पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से उन्मुक्त कर दिया जाएगा।

Y आपको आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए

हस्ताक्षर नाम पदनाम

[सं.सं. वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/07/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आयुक्त ।

टिप्पण : मूल नियम झारखंड राजपत्र, असाधारण तारीख 20 जून, 2017 एवं 29 जून, 2017 को एस॰ ओ॰ सं॰ 28, तारीख 20 जून, 2017 एवं एस॰ ओ॰ सं॰ 52, तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
